राजस्थान विधान सभा

तेरहवीं बैठक, दिनांक २९ अक्टूबर, १९५२

सदन का कार्य ८ बजकर ३५ मिनिट पर प्रारम्भ हुआ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

तारांकित प्रश्न

प्रश्न सं० १७८

श्री भैरूसिंह (खेजड़ला):--श्री भैरूसिंह डिवीजन नं० १२ एब्सेन्ट हैं। क्या उनके प्रश्न मैं पूछ सकता हूं ?

श्री अध्यक्ष:–Have you got written authority from the Hon'ble Member who is absent ?

श्री भैरूसिंह (खेजड़ला):–जी हां ।

क्या श्री मंत्री, कृषि विभाग, बतलाने की कृपा करेंगे कि:--

(अ) राजस्थान में पशु सुधार महकमा क्या प्रगति कर रहा है ?

(ब) कौन कौन सी तहसीलों में सांड घोड़े तथा भेड़ भेजे गये हैं ?

(स) भेड़ों के विषय में सरकार क्या व्यवस्था कर रही है अथवा करने का विचार रखती है ?

(ड) भेड़ें किस हिसाब से दी गई हैं अथवा दी जायंगी ?

(इ) यदि आज ऐसी कोई व्यवस्था न हो तो सरकार पशु-सुधार के निमित्त व्यवस्था रखेगी ?

उत्तर

श्री मोहनलाल सुखाडिया:–(क) कृषि विभाग की पशु पालन शाखा पशुओं की नसल में सुधार कर रही है और राज्य में पशु पालन उद्योग का विकास कर रही है। यह पशुओं की चिकित्सा भी कर रही है और उनको संक्रामक एवं छूत के व्यापक रोगों के विनाश से बचा रही है।

(ख) सांड और बीजाश्व तहसीलवार वितरण नहीं किए गये हैं वरन् जनता की आवश्यकता के अनुसार तथा एसे स्थानों पर जहां विभाग अच्छा नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण कर सकता है ।

निम्नलिखित सारिणी से सांड और बीजाश्वों का वितरण प्रकट होगा:–

सांड:–सांड राजस्थान के समस्त पशु पालन फार्मों जैसे नागौर, बस्सी, अलवर और कोटा में पाये जाते हैं । उन फार्मों के अतिरिक्त सांडों और भैंसा सांडों की कुछ ऐसी संख्या है जो मुफ्त सेवा के लिये सरकारी संस्थाओं में निम्नलिखित स्थानों पर रखी जाती है:–

जोधपुर––दो सांड और एक भैंसा सांड?

उदयपुर––तीन सांड

बीकानेर––एक भैंसा सांड

भरतपुर––एक भैंसा सांड

उपरोक्त सांडों के अतिरिक्त कुछ अभिजात सांड निम्नलिखित स्थानों में वितरित किये गये हैं:–

नागौर, पाली, उदयपुर, जोधपुर, जयपुर, अलवर और कोटा ।

बीजाश्व:–राजस्थान में पशु चिकित्सा संस्थाओं के लिये निम्नलिखित बीजाश्व मंजूर किये गये है :–

जोधपुर–दो बीजाश्व   बाली–एक बीजाश्व

बिलाड़ा–एक बीजाश्व   भरतपुर–एक बीजाश्व

सोजत–एक बीजाश्व

(ग) भेड़ों और ऊन के सुधार का कार्य सन् १९५१ में स्थापित हुआ था। प्रारंभ से ही यह विभाग प्रति भेड़ उत्पादन और भेड़ की किस्म सुधारने का प्रयत्न कर रहा है । इसने राजस्थान में भेड़ों की वर्तमान विभिन्न नस्लों का भी एक विशद् निरीक्षण किया है और उससे उत्पन्न होने वाली संभावनाओं को भी अध्ययन किया जा चुका है । इस कार्य का कार्यक्रम भेड़ों की वर्तमान नस्लों को, चुनीदा नस्लकशी और वैज्ञानिक प्रबन्ध द्वारा, सुधारना है ।

इस समय एक भेड़ अभिजनन एवं अनुसंधान केन्द्र जयपुर में और एक भेड़ पालन फार्म बीकानेर में स्थित हैं । एक भेड़ पालन फार्म जोधपुर में स्थापित किए जाने का कार्य चल रहा है और एक और वैसा ही फार्म आगामी आर्थिक वर्ष में जैसलमेर में भी स्थापित किया जायेगा ।

इसके अतिरिक्त, विभाग के शिक्षण प्राप्त कर्मचारी वर्ग द्वारा विस्तार कार्य निम्नलिखित स्थानों पर किया जा रहा है:–

जयपुर डिवीजन:–जयपुर, झुन्झुनू, सीकर, रिंगस, 'शाहपुरा, मालपुरा, दूदू, निवाई, टोंक, और दौसा ।

जोधपुर डिवीजन:–जोधपुर, नागौर, मेड़ता, फलौदी, बाड़मेर, बालोतरा, बिलाड़ा जैतारण, पाली, बाली, सोजत, जालोर, सिरोही, बाप और परबतसर,

दो केन्द्र जैसलमेर जिले में जल्द ही और १० केन्द्र बीकानेर डिवीजन में आगामी आर्थिक वर्ष में खोले जायेंगे । प्रत्येक केन्द्र में १०,००० भेड़ों को नियंत्रित अभिजनन प्रणाली के अन्तर्गत रखा जायेगा । ऐसा भी प्रस्ताव है कि प्राइवेट उत्साही कार्यकर्ताओं को आर्थिक सहायता देकर उनके द्वारा अश्व–उत्पादन को भी प्रोत्साहित किया जाय ।

(घ) अश्व संबंधी फार्मों के पूर्णतः स्थापित हो जाने के बाद, ऐसा प्रस्ताव है कि वास्तविक रूप से पालन करने वालों को रियायती दरों पर अभिजात भेंढ़े वितरित किये जायें ।

(ङ) इसका उत्तर उपरोक्त (क) और (ग) में आ जाता है ।

श्री सन्तोषसिंह:–क्या सरकार के पास नस्ल सुधारने का कोई प्रोग्राम है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं समझता हूं कि मैंने उस संबन्ध में विस्तृत जवाब दे दिया है ।

श्री गुलाबचन्द कासलीवाल:–क्या माननीय मंत्री महोदय को यह मालूम है कि राजस्थान, भारतवर्ष के अन्य राज्यों से अधिक ऊन उत्पन्न करता है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जी हां ।

श्री कपिलदेव:–क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि केवल जयपुर और जोधपुर में यह सेन्टर रखे गये हैं; क्या वह. जानवरों की विशेष सुविधा देख कर छांटे गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जहां पर यह अधिक उपयुक्त होते हैं और जहां पर इस कार्यवाही के करने से लाभ हो सकता है, उसी दृष्टिकोण को सामने रख कर यह सेन्टर रखे जाते हैं ।

श्री कपिलदेव:–उदयपुर डिवीजन में सांडों के कौन कौन से केन्द्र हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–इसका उत्तर में पहले ही दे चुका हूं ।

श्री कानसिंह:–उदयपुर में जो सांड रखे गये हैं तो वहां खास तौर से सांडों की जरूरत है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–जी हां ।

प्रश्न संख्या १७९

श्री भैरुंसिंह (खेजड़ला):–क्या श्री मंत्री, गृह विभाग एवं योजना विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) घूसखोरी रोकने के लिए सरकार ने कौन कौन सी योजनाएं कार्यान्वित की है ?

(ब) सरकार की निगाह में बाली देसूरी तहसील का कोई घूसखोरी का मामला है ?

(स) यदि "ब" का उत्तर "हां" में है तो सरकार ने संबन्धित मामले में क्या कदम उठाया ?

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवाल:–इस संबन्ध में पहले भी प्रश्न किये जा चुके हैं और उनके उत्तर दिये जा चुके हैं । इस प्रश्न में बाली का विशेष रूप से जिक्र है। बाली के किसी मुलाजिम के खिलाफ इस ब्रान्च में कोई मामला जेर गौर नहीं है।

प्रश्न संख्या १८०

श्री भैरुंसिंह खेजड़ला:–क्या श्री मंत्री, गृह विभाग एवं योजना विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) क्या यह सच है कि राजस्थान की ग्रामीण जनता कर्ज के भार से दबी हुई है ?

(ब) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो क्या सरकार ऋणग्रस्त किसानों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ?

(स) यदि "ब" का उत्तर हां में है तो सम्भावित योजना क्या है और उसे कब तक अमल में लाया जायेगा ?

उत्तर

श्री अमृतलाल यादव:–इस प्रश्न का सम्बन्ध चूंकि ग्राम सुधार विभाग से है । इसलिये मैं उसका जवाब दे रहा हूं ।

(अ) ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति के सम्बन्ध में कोई नियमित जांच तो अभी तक नहीं हुई, परन्तु जहां तक उनके सम्पर्क में आने से ज्ञात हो

सँका है समस्त राजस्थान में ग्रामीण जनता की आर्थिक स्थिति एक सी नहीं है। साधारणतया बड़े भूमि पतियों की आर्थिक स्थिति तो अब पहले की अपेक्षा सुधर गई है; परन्तु छोटे भूमिपति तथा भूमि-हीन श्रम जीवियों की दशा पूर्ववत् गिरी हुई है और ऐसा ही वर्ग आम तौर से ऋणग्रसित है ।

(ब) हां ।

(स) उपरोक्त किसानों को ऋण-मुक्त करने के सम्बन्ध में निम्न योजनायें हैं:-

१. Debt Conciliation Boards (डेट कन्सीलियेशन बोर्ड ज) स्थापित करना। ऐसे २ बोर्ड अनुभव प्राप्ति के लिये फिलहाल जोधपुर डिवीजन में स्थापित किये जाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ।

२. प्रारंभिक क्रेडिट सहकारी समितियों तथा सेन्ट्रल सहकारी बैंकों द्वारा कम ब्याज पर अर्थ सहायता दी जा कर ऋण-भार कम करने का प्रयत्न किया जा रहा है ।

३. उक्त कोओपरेटिव सेन्ट्रल बैंकों की सहायतार्थ प्रान्तीय सहकारी बैंक का निर्माण शीघ्र ही किया जा रहा है जो लगभग २ महीने में कार्य करने लग जावेगा ।

४. उपरोक्त व्यवस्था के सुचारु रूप से कार्यान्वित होने के समय तक जयपुर बैंक से सहकारी विभाग की सिफारिश पर ४।। प्रतिशत ब्याज पर सहकारी समितियों को ऋण देने की व्यवस्था की जा चुकी है, जिसके लिये सरकार ने बैंक को गारंटी प्रदान कर दी है ।

श्री कपिलदेव:-अध्यक्ष महोदय, यह स्पीच दे रहे हैं या सवाल का जवाब दे रहे हैं ?

श्री अमृतलाल यादव:-मुझसे यह पूछा गया था कि उस सम्बन्ध में सरकार के विचाराधीन क्या क्या योजनाएं हैं इसलिए जो योजनाएं विचाराधीन थीं उनके बारे में विस्तार के साथ मुझे जिक्र करना पड़ा ।

श्री श्रीदास गोयल:-तो क्या माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीणों को गांव के महाजनों के सूद से बचाने के लिए सरकार कोई इनेक्टमेन्ट बनाने के विषय में सोच रही है ?

श्री अमृतलाल यादव:-जी, मैंने अर्ज किया था कि डेट रिकॅन्सीलियेशन बोर्ड, बनाने का विचार किया है । इसके अलावा यह जो आपने एक्ट वगैरह की बात रखी है, उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

श्री रामदयाल उपाध्याय:-यह बोर्ड कब तक बन जायगा ?

श्री अमृतलाल यादव:–जल्दी ही ।

श्री कानसिंह:–ऐसे बोर्डों की आवश्यकता क्या जोधपुर में ही समझी गई, बीकानेर में नहीं ?

श्री अमृतलाल यादव:–उस पर भी विचार किया जा सकता है ।

प्रश्न संख्या १८१

श्री भैरूंसिह (वि. सं. १२):–क्या श्री मंत्री, ग्रह विभाग एवं योजना विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) राजस्थान में किसानों और जागीरदारों के बीच गत तीन महिनों में कितनी वारदातें मार पीट की हुई हैं ?

(ब) यदि सरकार के पास इसकी कोई तालिका हो तो कृपया सूचित कीजिये कि वे वारदातें कब और कहां हुई ?

(स) सरकार सम्बन्धित दंगे फिसादों के मूल में स्थित कारणों को जान पाई है ?

(ड) जांच के आधार पर क्या सरकार इन दंगे फिसादों के मूल में स्थित कारणों को जान पाई है ?

(इ) यदि "ड" का उत्तर जो "हां" में है तो सरकार उन्हें बताने का कष्ट करेगी ?

(फ) सरकार ने "ड" प्रश्न के इंगित कारणों के उन्मूलन के लिए क्या क्या प्रयत्न किये ?

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवाल:—

(अ) ३१ .

(ब) फहरिश्त सदन की मेज पर रखी जा रही है। (कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(स) हां ।

(ड) हां ।

(इ) इसके आर्थिक और राजनैतिक दोनों प्रकार के कारण हैं । पहला कारण यह है कि जो वर्ग शक्ति सम्पन्न थे वे बदले हुए जमाने में अपनी ताकतों से जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं ।

दूसरा कारण यह है कि बालिग मताधिकार चुनाव होने के कारण अनजान वर्ग में भी अपने हक के लिए झगड़े हो रहे हैं और इस बारे में भी कई जगहों पर झगड़े हो रहे हैं कि जमीन पर काश्तकार का हक है। इसके अलावा बहुत से वर्ग जो अब तक खेती नहीं करते थे परिवर्तित परिस्थितियों के कारण वे अपने आप को खेती पर निर्भर रखना चाहते हैं। भूमि सुधार नियमों से बचने का प्रयत्न भी इसका एक कारण है और कुछ वर्गों ने इसमें सफलता पाने के लिए हिंसात्मक उपायों तक का अवलम्बन किया है।

सरकार ने इन कारणों को दूर करने के लिए लेन्ड रिफोर्म तथा जागीरदारी उन्मूलन कानून बनाये हैं तथा सरकार इस समस्या की ओर पूरा ध्यान दे रही है। सरकार इन उपायों के सिवाय कुछ और भी उपाय कर रही है जिनका यहां प्रकट किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता।

एक सदस्य:—यह आप किस आधार पर बतला रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर !

श्री माधोसिंह:—बहुत से ऐसे आपसी टंटे हैं जो जुडिशियरी के सामने हैं; इसके अन्दर सरकार ने एग्जिक्युटिव साइड से अपना हस्तक्षेप किया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह सवाल बहुत एब्सर्ड है।

श्री माधोसिंह:—मेरे कहने का मतलब यह है कि जो सरकार ने ३१ मामले बताये हैं उनमें से कितने जुडिशियरी के सामने हैं और कितने एग्जिक्युटिव के सामने ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—मामले सभी जुडिशियरी के सामने हैं।

श्री माधोसिंह:—जुडिशियल कोर्ट्स के सिवाय एग्जिक्युटिव के सामने इस प्रकार के कोई मामले नहीं हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—कुछ मामले हिंसात्मक कार्यवाही के, इग्जिक्युटिव के सामने भी हैं। वे सिर्फ हिंसात्मक कार्यवाही को रोकने के लिए एग्जिक्युटिव साइड में लिये गये हैं।

श्री कानसिंह:—जिन मामलों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का हाथ है उनके खिलाफ भी कोई कानूनी कार्यवाही की जा रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—यह प्रश्न काल्पनिक मालूम देता है।

प्रश्न संख्या १८२

श्री भैरुंसिंह:--क्या श्री मंत्री, राजस्व विभाग एवं योजना विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(अ) अतिवृष्टि के फलस्वरूप उपस्थित जन संकट के निवारणार्थ सरकार ने क्या व्यवस्थायें की हैं?

(ब) देसूरी तहसील में स्थित जवाली और खोड़े गांव की अतिवृष्टि से पीड़ित जनता के लिये भी कोई व्यवस्था की गई है?

(स) यदि "ब" का उत्तर "हां" में है तो वह क्या है?

(ड) यदि "ब" का उत्तर "ना" में है तो जनहित निमित्त ऐसा क्यों नहीं किया गया?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–कृषि संबन्धी आपत्तियों के विषय में सरकार ने नियम मन्जूर किये हैं, जिनके अनुसार उन इलाकों में, जहां कि अतिवृष्टि के कारण फसल का नुकसान हुआ है, इन नियमों की धारा ३ के अनुसार लगान में छूट दी जाती है। जिला अध्यक्षों को नियमानुसार कार्यवाही करने की हिदायत जारी कर दी गई है। इन नियमों की प्रतिलिपि सदन में पेश है।

इन गांवों की व्यवस्था भी इन्हीं नियमों के अनुसार की जायगी।

(स) का जवाब दिया जा चुका है।

(ड) पैदा नहीं होता।

श्री कपिलदेव:–माननीय मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि देसूरी तहसील किस जिले में है?

एक सदस्य:--जोधपुर डिविजन में।

प्रश्न संख्या १८३

श्री भैरोंसिंह (वि. स. १२):--क्या श्री मंत्री, गृह विभाग एवं योजना विभाग बतलाने की कृपा करेंगे कि:

(अ) सरकार ने राजस्थान में भिखारियों की गणना की है?

(ब) यदि "अ" का उत्तर "हां" में है तो सूचित कीजिये कि समस्त राजस्थान में कुल भिखारी कितने हैं?

(स) सरकार ने भिखारियों को काम पर लगाने की कोई योजना बनाई है?

Page No.9

उत्तर

श्री टीकाराम पालीवाल:--(अ) नहीं

(ब) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(स) अभी तक नहीं ।

श्री भैरुंसिंह (खेजड़ला):--कोई योजना बनाने का सरकार का विचार है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:-अभी तक सरकार ने योजना बनाने का विचार नहीं किया; इसके कई कारण है:

श्री संतोष सिंह:--भिखारियों की गणना नहीं की है तो क्या सरकार की यह मन्शा है कि वे भिखारी ही बने रहें ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--स्टेप्स लिये जा रहे हैं, वे भिखारी न बने रहें, वे स्वावलम्बी बनें; यह सरकार की इच्छा है ।

श्री सन्तोषसिंह:--क्या स्टेप्स लिये जा रहे हैं ?

श्री कपिलदेव:--क्या जिस प्रकार जागीरदारी खत्म करने के लिए स्टेप्स लिये जारहे हैं उस तरह के या अन्य प्रकार के ?

श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा):--कालेबाजारी से परमिट लेने वाले हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं देऊंगा ।

प्रश्न सं. १८४

श्री अमरसिंह:--क्या माननीय उद्योग तथा व्यवसाय मंत्री, उद्योग संबंधित शिकायतों, माइनिंग डिपार्टमेंट की कार्यप्रणाली, लगान व फीस की दरों और इस उद्योग से संबन्धित सब दूसरी बातों की जांच और राय के लिये राज्य परिषद् के सदस्यों व उद्योग के प्रतिनिधियों की एक जांच कमेटी नियुक्त करेगी ?

उत्तर

श्री रामकिशोर व्यास:--जब मिनरल एडवाइजरी कौन्सिल का पुर्निर्माण होगा उस वक्त माननीय सदस्य के सुझाव पर विचार किया जायगा ।

श्री कपिलदेव:--यह कब तक हो जायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास:--जब इसकी अवधि समाप्त होगी तब ।

श्री सन्तोषसिंह:—यह पीरियड कब तक खत्म होजायगा ?

श्री रामकिशोर व्यास:—मैं निश्चित तारीख नहीं बता सकता ।

प्रश्न सं. १८५

श्री सोहनलाल भटनागर:—Will the **Minister-in-charge of Development** be pleased to answer:—

What are the criteria on which Community Project centres and Development Block centres have been selected in Rajasthan ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—सामूहिक योजना के विकास क्षेत्र को निर्धारित करने में निम्नलिखित बातों पर विचार किया गया है:—

क्षेत्रफल, जनसंख्या, प्रयत्न करने पर अच्छे फल के मिलने की संभावना, सिंचाई की सुविधा तथा वर्षा की निर्भरता आदि ।

श्री सन्तोषसिंह:—क्या इसमें तहसील बिलाड़ा भी शामिल है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—राजस्थान के सभी क्षेत्र शामिल हैं ।

श्री मानसिंह:—कौम्युनिटी प्रोजेक्ट के सेन्टर के सिलेक्शन में क्या क्राइटेरिया रखा गया ?-

श्री टीकाराम पालीवाल:—इसकी जहां उपयोगिता समझी गई वहीं रखा गया ?

श्री मानसिंह(जमुआ रामगढ):—सेन्टर से जब यह आदेश था कि कौम्युनिटी प्रोजेक्ट ओफिसर गया आर.ए.एस के केडर का आदमी होना चाहिये तो इस पर कहां तक पाबन्द रहा गया ।

श्री टीकाराम पालीवाल:—जहां तक होसका है उपयुक्त अफसर ही छांटे गये हैं। सेन्टर से ऐसा कोई अदेश नहीं था ।

श्री मानसिंह:—हिन्डोन में इस पद पर किसी व्यक्ति विशेष को नियुक्त किया गया है जो आर.ए.एस. का आदमी नहीं है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:—वे इस पद के योग्य पाये गये। सेन्टर से ट्रेनिंग पास शुदा हैं। उनकी सलाह से उनकी नियुक्ति की गई ।

श्री मानसिंह:—बीकानेर डिवीजन क्षेत्रफल, की दृष्टि से काफी बड़ा है; वहां कोई सेन्टर कायम किया गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--रायसिंहनगर में एक क्षेत्र है ।

श्री मानसिंह:--जो महानुभाव कॉम्युनिटी प्रोजेक्ट ऑफिसर नियुक्त किये गये हैं वे क्या परमानेन्ट केडर के हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--नहीं, टेम्परेरी केडर के हैं ।

श्री माधोसिंह:--किस किस क्षेत्र में कॉम्युनिटि प्रोजेक्टस के सेन्टर्स हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--यह मैं पहले ही बतला चुका हूं ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ):--क्या वजह है कि परमानेन्ट आदमियों को उन्नति की जगह न रखा जाकर टेम्पोरेरियों को रखा गया है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--जितने परमानेन्ट आदमी उपलब्ध हो सकते थे उनको ले लिया गया । सब तो उपलब्ध नहीं हो सकते थे; अतः कुछ टेम्परेरियों को भी रखा गया; कुछ बाहर से भी लिये गये ।

श्री मानसिंह:--एक दो आदमियों को परमानेन्ट रख देने के बावजूद भी उनको बदल दिया गया और उनकी जगह टेम्परेरी आदमियों को रखा गया । तो क्या टेम्परेरी आदमियों को जगह देने की नियत से यह कार्यवाही की गई ?

(चुप्पी)

श्री मानसिंह:--क्या मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलेगा ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--I do not exactly follow your Question.

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ):--मैं यह पूछना चाहता हूं कि जब परमानेन्ट आदमियों को सिलेक्ट कर लिया गया तो उनको हटा कर टेम्परेरी आदमियों को क्यों रखा गया ?

श्री टीकाराम पालीवाल:--जिन आदमियों को ट्रेनिंग में भेजा गया था उनको ट्रेनिंग से वापिस आने के बाद, जिनको उपयुक्त समझा, रखा गया और ऐसा भी हुआ है कि जिन आदमियों को ट्रेनिंग में भेजा गया और यदि उनकी दूसरी जगह आवश्यकता थी तो उनको दूसरी जगह भी भेजा गया ।

श्री मानसिंह:--ट्रेनिंग का खर्चा करने की क्या आवश्यकता थी जब उनको दूसरी जगह भेज दिया गया ।

श्री अध्यक्ष:--नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० १८६

Shri Sohanlal Bhatnagar:—Will the Education Minister be pleased to state.

What steps are being taken to reorganise the Education Standard in Primary and Secondary stages ?

श्री नाथूराम मिर्धा (शिक्षा मंत्री):--A revised syllabus is being brought into force from July, 1953, for the Primary and Middle Schools. As for High School it is the concern of University and not of the Department.

श्री माधोसिंह:—माननीय मंत्री महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि हालां कि प्रश्न अंग्रेजी में पूछा गया किन्तु बहुत से सदस्य केवल हिन्दी ही जानते हैं अतः उन्हें हिन्दी में ही जवाब देना चाहिये था ।

श्री कपिलदेव:-क्या माननीय सदस्यों की सहायता के लिए इसका तर्जुमा कर दिया जायगा ।

श्री नाथूराम मिर्धा:--मैं जरूर करूंगा ।

प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के लिये जुलाई १९५३ से संशोधित पाठ्यक्रम प्रभाव में लाया जावेगा । हाई स्कूलों का सम्बन्ध विश्वविद्यालय से है, शिक्षा विभाग से नहीं ।

श्री माधोसिंह:—सिलेबस की हिन्दी क्या होती है ?

श्री अध्यक्ष महोदय:-ऑडर, ऑडर ! नेक्स्ट ।

प्रश्न सं० १८७

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:-क्या राजस्व मंत्री महोदय, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार द्वारा:—

(क) जयपुर जिले के काश्तकारों की सहायतार्थ गत वर्ष कितनी रकम तकावी के लिये स्वीकार की गई ?

(ख) जयपुर चाकसू क्षेत्र के कितने किसानों को कितनी--कितनी तकावी दी गई ?

(ग) तकावी दी गई तो उनमें से कितने शिड्यूल्ड कास्ट किसानों को दी गई और कितनी–कितनी ?

(घ) नहीं, तो क्यों ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—

(क) गत वर्ष जयपुर जिले के लिए २,९१,२५०) रुपये तकावी के लिए मंजूर किये गये।

(ख) इस रकम में से जयपुर तहसील के लिए १,१२,०००) और ९,४५०) चाकसू तहसील के किसानों में बांटा गया।

(ग) जयपुर तहसील में २,७००) और चाकसू तहसील में २,२०० रुपये हरिजन काश्तकारों में तकसीम हुए।

(घ) यह प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मानसिंह:—क्या वजह थी कि जयपुर तहसील में ही इतनी तकावी रखी गई ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ही रखी गयी थी।

श्री श्रीदास गोयल:—क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजन किसानों को बहुत कम तकावी क्यों मिली ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—वहां की मांग और उपयुक्तता को देखते हुए उसी अनुपात से तकावी वितरित की गई।

श्री रामदयाल उपाध्याय:—क्या यह बताया जायगा कि हरिजनों की ओर से कितनी दरख्वास्तें पेश हुई थीं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—कितनी दरख्वास्तें पेश हुईं, मैं नहीं कह सकता।

प्रश्न संख्या १८८

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:--क्या मिनिस्टर इन्चार्ज, ट्रान्सपोर्ट विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:—

(क) इस वर्ष स्टेज बसेज (Stage Carriages) चलाने के हेतु कितने परमिट आर.टी.ओ. जयपुर द्वारा दिये गये ?

(ख) क्या इनमें से किसी भी रूट पर स्टेज बस चलाने के हेतु किसी शिड्यूल्ड कास्ट के व्यक्ति को भी परमिट दिया गया ?

(ग) नहीं, तो क्यों ?

(घ) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या नीति निर्धारित की है ?

उत्तर

श्री भोलानाथ:-(क) १ जनवरी, सन् ५२ से १५ अक्टूबर सन् ५२ तक प्रादेशिक यातायात अधिकारी, जयपुर ने स्टेज केरेज के १८१ रेगुलर परमिट और ७६५ टेम्परेरी परमिट दिये हैं।

(ख) हां, दिये गये हैं। यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि शिड्यूल्ड कास्ट के कुल कितने व्यक्तियों को परमिट दिये गये हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) प्रादेशिक यातायात अधिकारी को यह तय करने में कि स्टेज केरेज का परमिट दिया जाय या न दिया जाय केवल उन्हीं बातों का ध्यान रखना पड़ता है जो कि सम्पूर्ण भारत के मोटर वेहिकल्स एक्ट की धारा ४७ में दे रखी है।

धारा ४७ के अन्तर्गत कोई ऐसी उपधारा नहीं है जिससे कि अनुमति-पत्र देते समय वर्ग या जाति का ध्यान रखा जा सके।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:-क्या आप नाम बतलाने की कृपा करेंगे ?

श्री भोलानाथ:-एक का नाम जगदीश प्रसाद है और दूसरे का नाम सोहनलाल है।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:-क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सोहनलाल और जगदीश प्रसाद जाति से बलाई थे तो उनको क्यों नहीं परमिट दिये गये ?

श्री भोलानाथ:-इतना स्पष्ट सवाल नहीं पूछा गया था। अतः इसका जवाब इतना जल्दी देना सम्भव नहीं है।

श्री टीकाराम पालीवाल:-मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि जहां तक सरकारी नौकरियों का प्रश्न है सिडयूल्ड कास्ट के लिए यह रिजर्व्ड है, लेकिन दूसरे प्रोफेशन्स, फ्री ट्रेड हैं। उनमें इस प्रकार का कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता और किया भी नहीं जा सकता।

श्री अध्यक्ष:—He does not want any favour. He wants some information.

(चुप्पी)

प्रश्न संख्या १८१

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:—क्या माननीय निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:-

(क) जयपुर-चाकसू क्षेत्र में किस किस कस्बे तक इस वर्ष लिंक रोड बनाने की तजबीज है ?

(ख) यह कितने अर्से में बनाई जा सकेगी ?

(ग) क्या इसका कोई सर्वे आदि हो गया है ?

श्री भोलानाथ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री):–"जयपुर चाकसू क्षेत्र" से मतलब स्पष्ट नहीं हुआ । यदि उनका मतलब इस तहसील से है तो उसका उत्तर इस प्रकार है । इस वर्ष के प्रोग्राम में ये सड़कें शामिल हैं:–

१. रेणवाल कस्बे तक,

२. फागी कस्बे तक, और

३. वाटका कस्बे तक, ।

(ब) रेनवाल और फागी कस्बों तक सड़कें इस वर्ष पूरी बन जावेंगी ।

(स) पहिली दो सड़कों का सर्वे हो चुका है । वाटका सड़क का सर्वे कार्य जारी है ।

प्रश्न संख्या ११०

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :–

(अ) क्या यह सत्य है कि गांव पीछूपाड़ा तहसील बांदीकुई में कुछ हरिजनों चमारों की भूमि पर गूजरों ने बलात् अधिकार कर लिया है ?

(ब) यदि उत्तर 'हां' में है तो राज्य सरकार ने ऐसे मामले में क्या कार्यवाही की ?

(स) सरकार के पास ऐसी कितनी घटनाओं के प्रमाण विद्यमान हैं तथा सरकार इस विषय में क्या कदम उठा रही है ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया(राजस्व मंत्री):–(अ) इसका उत्तर "हां" में है ।

(ब) दोनों में आपस में समझौता हो गया था; इसलिए मामला दाखिल दफ्तर कर दिया गया है ।

(स) ऐसे १० और मामले जैर तजबीज हैं जिनके बारे में नियमानुसार कार्यवाही हो रही है ।

प्रश्न संख्या १९१

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–क्या मुख्य मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(क) इस छः माह के अर्से में कितने हरिजनों को सरकार ने साढ़े बारह परसेन्ट और पन्द्रह परसेन्ट नियत कोटा के अनुसार:–

१. मिनिस्टीरियल स्टाफ में,

२. चौथे दर्जे की नौकरियों में,

३. गजेटेड ऑफिसर्स में, स्थान दिये ?

(ख) यदि नये आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं तो पुराने आंकड़े से, जो सरकार ने उपलब्ध किये होंगे, वेही बतलावें ।

(ग) यदि नहीं, तो ऐसा क्यों ? भविष्य में सरकार हरिजनों के लिए उक्त कोटे की पूर्ति के हेतु क्या क्या नये कदम उठा रही है ?

श्री टीकाराम पालीवाल मुख्य मंत्री:–(क) इस विषय में सूचना सरकारी विभागों से एकत्रित की जा रही है ।

(ख) इस समय तक उपलब्ध सूचना के अनुसार १ सितम्बर, १९५१, तक परिगणित जातियों के ७८१ आदमी नौकर थे; लेकिन कुछ महकमों से सूचना प्राप्त नहीं हुई थी । सरकार ने कुल महकमेजात को आदेश दे दिया है कि मुलाजमत में परिगणित जातियों और परिगणित वर्गों की नई भर्ती के माहवारी आंकड़े बनाकर पेश किये जावें । गवर्नमेन्ट उनकी एक फहरिश्त रखेगी और समय समय पर यह देखती रहेगी कि साढ़ा बारह परसेन्ट और पन्द्रह परसेन्ट के नियमित कोटा के अनुसार उनको नौकरियें दी जा रही हैं या नहीं ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–क्या यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उन ७८१आदमियों में से गजेटेड ओफिसर कितने हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–राजस्थान सरकार की नौकरी में रखने का कोटा नियत है । अलग अलग केडर में कोई रिजर्वेशन नहीं है ।

श्री मानसिंह:–मिनिस्टीरियल स्टाफ में कितने हैं और गेजेटेड ओफिसर कितने हैं यह सवाल पूछा गया था; इसका उत्तर बराबर नहीं दिया गया ।

श्री टीकाराम पालीवाल:– लग अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं ।

श्री तनसिंह:–जिन विभागों से आंकड़े उपलब्ध नहीं हो सके हैं क्या उन विभागों के खिलाफ आप कोई विशेष कार्यवाही करने का विचार कर रहे हैं ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–हर आदमी जो सरकार की नौकरी में आता है उससे जाति के बारे में दर्यापत नहीं किया जाता । पर सारे पर्टिक्युलर्स रेकर्ड में रहते हैं ।

श्री कंवरलाल जेलिया:–जो हरिजन नौकरी के लिये अर्जी देते हैं क्या उन्हें मेजिस्ट्रेट से हरिजन होने का प्रमाण–पत्र लेना जरूरी होता है ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–सामान्यतः अधिकारियों को सन्तुष्ट होना चाहिये कि अमुक आदमी अपने आपको जिस जाति का बतलाता है वह उसी जाति का होगा ।

एक सदस्य:–शिडचूल्ड कास्ट का एक भी गजेटेड ओफिसर सरकारी नौकरी में नहीं है ।

श्री टीकाराम पालीवाल:–यह प्रश्न पूछा गया था मुझे इन्फर्मेशन दी गई है ?

प्रश्न संख्या १९२

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–क्या माननीय दलित वर्ग उत्थान मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि:–

(क) गत सेशन के वायदों के अनुसार इस छः माह के अर्से में जयपुर के कितने हरिजन मोहल्लों में नल और बिजली लगाई गई ?

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

(ग) अब कब तक इसकी आशा करें ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–पिछले दिनों में हरिजन मोहल्लों में निम्नलिखित स्थानों में बिजली और पानी का प्रवन्ध किया गया है:–

मंडी खटीकान में पानी का प्रवन्ध किया गया है ।

बिजली का प्रवन्ध निम्नलिखित स्थानों में किया गया है:–

हीदा की मोरी, नाहरगढ़ की सड़क, हसनपुरा, नाहरगढ़ सड़क के नीचे, यज्ञशाला की बावड़ी, हरिजन स्कूल, घाटगेट, घोड़ा निकास, मन्डी खटीकान और फतहटीबा ।

निम्नलिखित स्थानों में बिजली देने की योजना विचाराधीन है:–

जयंशी फतेहटीबा, सुतरखाना, पुराना घाट के बाहर, चैनपुरा तोपखाना हजूरी, कोठी रेगरान, हीदाकी मोरी के बाहर, कूचा वन्दा रोड, गंगी मोरी तोपखाना देश, नाहरगढ़ सब स्टेशन के पास, लाल कोठी गांव–रामबाग के पास ।

पानी का इन्तजाम निम्न स्थानों में किया गया:–

नाहरगढ़ सब स्टेशन के पास और लाल कोठी रामबाग के पास ।

(ब) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

(स) प्रश्न पैदा नहीं होता ।

श्री कंवरलाल जेलिया:–क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि अन्य शहरों में भी इस तरह का पानी और बिजली का प्रबन्ध किया जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–जहां कहीं से मांग आई है वहां किया गया है और किया जायगा ।

श्री कंवरलाल जेलिया:–क्या कोटा के लिये इस तरह की मांग आई थी ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–नहीं, आपको मांग पहले रखनी चाहिए थी ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–जिन स्थानों पर बिजली और पानी का प्रबन्ध किया गया है वह क्या पिछले ६ महीनों में किया गया है ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–पिछले दिनों में यह इन्तजाम किया गया है ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–अन्य बस्तियों में कब तक इन्तजाम हो जायगा ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–अब तक आपने देखा है कि कितनी जगहों पर इन्तजाम किया गया है; अन्य स्थानों पर भी कर दिया जायगा ।

श्री हरिशंकर सिद्धान्त शास्त्री:–जहां जहां बिजली लगाई गई है वह मुझे मालूम है; साल डेढ़ साल पहले लगाई गई थी । मैं यह पूछना चाहता हूं कि पिछले ६ माह में कितने स्थानों पर बिजली और पानी का इन्तजाम किया गया ?

श्री भोगीलाल पंड्या:–यह बिजली पिछले दिनों में ही लगाई गई है ।

श्री मानसिंह (जमुआ रामगढ़):–डूंगरपुर बांसवाड़े में कितने स्थानों पर बिजली लगाई गई ।

श्री भोगीलाल पंड्या:–डूंगरपुर में काम करने वाली संस्थाओं ने बिजली का प्रबन्ध पहले से ही कर रखा है। अब लगाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न संख्या १९३

श्री गंगासिंह (वि० सं० ४१):—Will the **Chief Minister** be pleased to state:—

1. In how many cases of appointments and re-instatements, has the advice of the Public Service Commission been turned down ?

2. Will the Government give the details of these cases and reasons for turning down the advice ?

3. Will the Government consider to refer the disputed questions of pay and allowances of Services to the Public Service Commission for advice or decision ?

श्री टीकाराम पालीवाल:–(अ) तीन मामलों में।

२ (अ) जोधपुर के कस्टम्स व एक्साइज विभाग के एक भूतपूर्व कमिश्नर की सेवायें दिसम्बर १९४८ में जोधपुर सरकार की आज्ञा से समाप्त करदी गई थी। इस अफसर पर यह आरोप था कि उसने ५५० गज कपड़ा, जो पुलिस ने पाकिस्तान जाने वाले एक मुसाफिर के कब्जे से जोधपुर एरोड्रोम पर तलाशी द्वारा बरामद किया था उस मुसाफिर के छोटे भाई को कराची ले जाने के लिए वापिस कर दिया उस अफसर ने इजलास–ए–खास, जोधपुर में अपील की और राजस्थान सरकार को कई प्रार्थनापत्र दिये। उसकी अपील व दरख्वास्तें राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन की राय के लिए भेजी गई। पब्लिक सर्विस कमीशन ने भी सम्मति दी कि इस अफसर के खिलाफ कोई जुर्म साबित नहीं होता इसलिये उसकी अपील मन्जूर होनी चाहिये। विचार पर यह निश्चय हुआ कि इस मामले में जोधपुर सरकार का फैसला नातिक था और अफसर को अपील का कोई हक न था। न इस मामले में पब्लिक सर्विस कमीशन से राय लेने की जरूरत थी। अत: इस अफसर के मामले पर किसी पुनविचार की गुन्जाइश नहीं है।

(आ) कस्टम्स व एक्साइज विभाग के एक ओफिशियेटिंग डिप्टी कमिश्नर के खिलाफ यह आरोप था कि उसने पाकिस्तानी मुसलमानों के हक में मारवाड़ में स्थायी निवास करने के लिये बिना पूरा विचार किये बड़ी तादाद में सर्टिफिकेट जारी किये और इसी तरह वैसे ही व्यक्तियों के हक में नियमों के खिलाफ सफर के परवाने भी जारी किये और यह सब कुछ उसने साम्प्रदायिक प्रेरणा से किया। राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने उस पर कसूर साबित मान कर यह सिफारिश की कि उसको जवाब का माकूल मौका दिया जाकर नौकरी

से हटा दिया जावे जारी किये हुए सर्टिफिकेट की तादाद और उन हालात पर गौर करते हुये कि जिनमें सर्टिफिकेट जारी किये गये सरकार की राय हुई कि अफसर ने जो गलती की है मगर उसकी नीयत में कोई बदी न थी। लिहाजा यह आरोप कि उक्त अफसर ने यह काम साम्प्रदायिक भावना से प्रेरित होकर किया सरकार ने साबित नहीं माना और उस अफसर को नौकरी पर बहाल रखा।

(स) कमीशन ने एक डाक्टर के लिये एनाटामी के लेक्चरार की नियुक्ति के हेतु की सिफारिश की थी, लेकिन उसमें वांछित योग्यता न थी। इसके अतिरिक्त जिस समय उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की गई उस समय तक उस पद काम ग्रेड भी बदला जा चुका था; अतः उक्त व्यक्ति की नियुक्ति नहीं की गई।

३. ये मामले पब्लिक सर्विस कमीशन के कार्य क्षेत्र में नहीं आते।

श्री कपिलदेवः--जब कि सरकार को यह मालूम था कि यह मामला Public Service Commission के अधिकार का नहीं था तो इसे Public Service Commission को क्यों भेजा गया।

श्री टीकाराम पालीवालः--तत्कालीन सरकार को कुछ गलत फहमी हो गई थी।

प्रश्न सं० १६४

श्री कानसिंहः--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देंगेः--

१. (क) राजस्थान सरकार ने गत अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये कितना रुपया रखा था।

(ख) उसमें से राजस्थान के प्रत्येक जिले में कितना २ रुपया वितरित किया गया?

(ग.) यह पैसा बांटने में किन किन बातों का ध्यान रख कर बांटा गया?

२. (क) क्या सरकार को यह मालूम है कि साल हाल बीकानेर जिला अकाल ग्रसित है?

(ख) अकाल की वजह से जिला बीकानेर में अकाल पीड़ितों की सहायता के लिये क्या कोई तजबीज सरकार कर रही है? अगर कर रही है तो क्या?

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः--लिखित उत्तर।

(a) (i) The total amount sanctioned for famine relief operations in the years 1951-52 and 1952-53 was Rs. 1,14,00,000 in addition to this Rs. 51,40,000 was sanctioned for Taccavi.

(ii) The amount allotted as estimated expenditure incurred in each division is given below.—

Name of Division	Amount sanctioned		Estimated Expenditure	
	Relief	Taccavi	Relief	Taccavi
Bikaner Division	9,75,680/-	12,38,000/-	8,00,000/-	12,30,000/-
Udaipur Division.	68,31,900/-	15,17,000/-	53,00,000/-	15,10,000/-
Jodhpur Division.	42,68,300/-	8,67,000/-	38,00,000/-	8,50,000/-
Kotah Division..	4,15,000/-	7,75,000/-	2,00,000/-	7,50,000/-
Jaipur Division..	13,15,400/-	7,87,000/-	9,00,000/-	6,00,000/-

The details of the amount are still awaited.

(iii) The amount was allotted to each area according to its requirements. For instance in some areas, amount had to be spent more on migration of cattle, or more on drinking water or more on relief works.

(iv) The reply is in negative.

(i) Yes. Steps are being taken to meet the scarcity conditions in some of the Tehsils of Bikaner Division. Some amount (Rs. 35,000) has already been sanctioned.

(ii) Details of relief measures in Bikaner are being worked out.

श्री कानसिंह: क्या यह जो आंकड़े बताये गये हैं इनमें तकावी और famine relief दोनों के मिलाकर बताये गये हैं ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-मैं समझता हूं कि दोनों के अलग अलग जवाब दिये गये हैं ।

प्रश्न सं० १९५

श्री कानसिंह:--क्या राजस्व मंत्री निम्नलिखित प्रश्नों का जवाब देंगे:—

(क) राजस्थान सरकार ने राजस्थान में तकावी में कुल कितना रुपया वितरण किया और प्रत्येक जिले को कितना २ दिया गया ?

(ख) तकावी वितरण करने में स्थानीय छोटे अफसरान किसानों को बहुत परेशान करते हैं, उसके बारे में क्या सरकार आइन्दा वितरण का उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया—

(क) राजस्व विभाग की तरफ से इस वर्ष आठ लाख रुपये तकावी के लिये मंजूर किये गये जिसकी तफसील यह है:

जयपुर डिविजन	२ लाख २५ हजार
जोधपुर डिविजन	१ लाख २५ हजार
बीकानेर डिविजन	१ लाख २५ हजार
कोटा डिविजन	१ लाख
उदयपुर डिविजन	२ लाख २५ हजार
	कुल ८ लाख.

जिलेवार एलॉटमेन्ट हर जिले की जरूरत के अनुसार कमिश्नरों द्वारा की गई है। इसके अलावा दो लाख रुपये मेकेनाइज्ड़ कल्टिवेशन के लिये एलॉट किये गये। वितरण के विषय में आंकड़े वर्ष के आखिर में तैयार होंगे।

तकावी वितरण के विषय में तकावी रूल्स मंजूर कर दिये गये हैं जिनके अनुसार अधिकारीगण तकावी तकसीम करते हैं। यदि कोई अधिकारी किसानों को परेशान करता है तो उसकी शिकायत जिलाध्यक्ष के पास पहुंचने पर ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ मुनासिब कार्यवाई की जायगी।

श्री माधोसिंह:—क्या तकावी के रुपये जो दिये जाते हैं वे काम में लिये जाते हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—तकावी काम में लेने के लिए ही दी जाती है।

श्री माधोसिंह:—अक्सर यह देखा जाता कि तकावी के रुपये लेकर बोहरों को दे दिये जाते हैं और जिस मकसद से तकावी दी जाती है उस काम में नहीं लाये जाते।

श्री अध्यक्ष:—Order, Order.

श्री भैरूसिंह (दांता रामगढ़):—जिलेवार तफसील नहीं बताई गई।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—मैंने अर्ज किया कि आंकड़े साल के अन्त में तैयार किये जायेंगे।

Page No.23

श्री कानसिंह:—क्या ये आंकड़े बाद में टेबल पर रखने की कृपा की जायगी ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—अवश्य ।

प्रश्न सं० ११६

श्री कानसिंह:—

(क) क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री, बीकानेर के बिजलीघर से जो जनता को तकलीफें हैं, उसकी जांच करने के लिये एक जांच कमेटी की नियुक्ति करेगी ?

(ख) बीकानेर का इलेक्ट्रिक प्लाण्ट कौन से साल में नया लगाया गया था और उसके लगाने के बाद कौन २ से साल कितना २ रुपया और दिया गया ?

श्री भोलानाथ:—

(क) वर्तमान स्थिति में किसी जांच की आवश्यकता नहीं है । मैंने और Chief Electrical Engineer ने उन स्थानों का दौरा करके मालूम किया तो वहां काफी संतोष पाया गया । दिक्कत Voltage की कमी की है और नये Connections के लिये और लाइनों की आवश्यकता है और Funds की कमी है और Funds के लिए नई सप्लीमेण्टरी Grants की मांग की जा रही है ।

(ख) पहला जेनरेटर का सेट बीकानेर में सन् १९३४ में लगाया गया था, इससे पहले के २ सेट पाये जाते हैं; पर उनको कब लगाया गया, इसकी सूचना गवर्नमेन्ट के पास नहीं है । एक Reconditioned सेट सन् १९५० में लगाया गया जिसकी कीमत लगभग ३०००००) थी । सन् १९३९ में १५००००) की कीमत का एक बोयलर और लगाया गया और सन् १९५० में २५००००) की कीमत के Emergency generating sets लगाये गये । सन् १९५१ में दो नये boilers लगाने में ८०००००) रु० खर्च किए गए वह कार्य लगभग समाप्त होने को है ।

श्री सन्तोषसिंह:—Total रकम कितनी हुई ?

श्री भोलानाथ:—आंकड़े में टेबल पर रख सकता हूं टोटल आप लगा लें ।

श्री कानसिंह:—Voltage कितनी दूरी पर जा सकते हैं ।

श्री भोलानाथ:—जैसा जेनरेटर लगाया जाय ।

श्री सन्तोषसिंह:—क्या इन्जीनियर्स Voltage नहीं जानते ।

श्री भोलानाथ:—खूब जानते हैं; पर पैसा चाहिए ।

प्रश्न संख्या १९७

श्री कानसिंह:—क्या राजस्व मंत्री यह बतलायेंगे कि:—

(क) बीकानेर जिले में अकाल है और साथ साथ टिड्डी का दौरा भी बड़े जोर से है और सरकार टिड्डी मारने में असमर्थ रही है। इसलिये क्या सरकार मेहरबानी करके बतलायेगी कि टिड्डी को मारने के लिये राजस्थान सरकार ने कितना रुपया दिया। अगर राजस्थान सरकार ने नहीं दिया तो भारत सरकार से कितना दिया ?

(ख) लोकस्ट स्टाफ पर प्रान्तीय सरकार की भी कोई निगरानी थी या नहीं और टिड्डी के बारे में जो दुर्व्यवस्था हुई है, वह सरकार के अभी नोटिस में आई है या नहीं ? अगर आई है तो आईन्दा क्या सरकार उसका उचित प्रबन्ध करेगी ?

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—(क) बीकानेर जिले में लोकस्ट कंट्रोल के कार्य की जिम्मेवारी भारत सरकार के Locust Control Organization पर है जो कि Director लोकस्ट कंट्रोल नई देहली के अंडर में चलता है।

(ख) बीकानेर जिले में Locust staff सेंट्रल लोकस्ट कंट्रोल ओर्गेनाइ-जेशन के अन्डर में है।

सिर्फ Cultivated area की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार द्वारा ली जाती है।-कल्टिवेटेड एरिया में, जहां करीब ६००० sq. माइल में Breeding हुआ, राजस्थान सरकार द्वारा उसमें काम किया गया। बीकानेर जिले में केवल गंगानगर इलाका ही Cultivated एरिया है।

राजस्थान सरकार Anti Locust measures के लिए सालाना २०००००) रु० खर्च करती है।

(प्रश्न संख्या १९८, १९९, २००, २०१, २०२, २०३ माननीय प्रश्न-कर्ता की अनुपस्थिति के कारण नहीं पूछे गये।)

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

प्रश्न सं. २०४

श्री चन्दनमल वैद:—क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पिछले साल सरकार ने गर्मियों की छुट्टियों में अध्यापकों तथा विद्यार्थियों के मारफत एक प्रौढ़ शिक्षा का जो कार्यक्रम चला कर काफी प्रौढ़ों को शिक्षित किया था उस कार्य-क्रम को इस साल न चलाने का क्या कारण था ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—हमारे राजस्थान की आर्थिक स्थिति के खराब होने के कारण जिस प्रकार पिछले साल प्रौढ़ शिक्षा का स्पेशल तौर पर प्रबन्ध किया गया था इस साल नहीं किया जा सका।

श्री चन्दनमल:—पिछले साल इस कार्य पर कितना पैसा खर्च हुआ था ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—पिछले साल स्पेशल कलेक्शन के जरिये एक लाख रुपया इकट्ठा किया गया था और उसी से वह सब आयोजन किया गया था।

श्री चन्दनमल:—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उससे कितने प्रौढ़ शिक्षित हुए ?

श्री नाथूराम मिर्धा:—यह नया सवाल है; इसके लिये नोटिस चाहिये।

श्री चन्दनमल:—क्या इस साल कोई स्पेशल कलेक्शन नहीं हो सकते थे ?

प्रश्न सं. २०५

श्री चन्दनमल:—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साल १ अप्रेल से ३० सितम्बर तक की ६ महीने की अवधि में कितने डाकू मारे गये और पकड़े गये तथा पिछले साल इसी अवधि में कितने डाकू मारे व पकड़े गए थे।

श्री टीकाराम पालीवाल:—१ अप्रेल, १९५२ से ३० सितम्बर, १९५२ तक २६२ डकैत गिरफ्तार हुए।

पिछले वर्ष इसी अर्से में १८४ डकैत गिरफ्तार हुए। इस वर्ष १ अप्रेल १९५२ से ३० सितम्बर १९५२ तक २३ डकैत जान से मारे गये और पिछले वर्ष इतने ही अर्से में ८ डकैत जान से मारे गये थे।

प्रश्न सं. २०६

श्री चन्दनमल:—क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कुछ अधिक अस्पतालों को जनता के सहयोग तथा खर्चे से बढ़ाने का विचार किया जा रहा है ?

श्री रामकिशोर व्यास:—गवर्नमेन्ट ने इस सम्बन्ध में नियम पहले से ही बना रखे हैं और वे राजस्थान राज-पत्र वोल्यूम ३ संख्या १६४ तारीख १-३-५२ के पेज संख्या ११०३ पर छप चुके हैं।

श्री चन्दनमलः—क्या इस प्रकार की कोई ओफर्स सरकार के पास है ?

श्री रामकिशोर व्यासः—यदि कोई बनाना चाहे तो बना सकते हैं ।

श्री चन्दनमलः—क्या आपके पास इस प्रकार की कोई ऑफर्स हैं और हैं तो कितने वर्षों से हैं और सरकार उन पर क्या विचार कर रही है ?

श्री रामकिशोर व्यासः—सरकार की ओर से उन पर विचार किया जा रहा है क्योंकि उनको बढ़ाने से सरकार का रेकरिंग खर्चा भी तो बढ़ता है । उसको भी सरकार को ध्यान में रखना है ।

श्री चन्दनमलः—ऐसे कितने होस्पिटल हैं जिनको काम में लाने से खर्चा बढ़ेगा और यदि बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा । क्या यह सरकार बता सकती है ?

श्री रामकिशोर व्यासः—कम से कम आपके यहां तो है ।

श्री चन्दनमलः—मैं सारे राजस्थान के विषय में पूछता हूं ।

श्री रामकिशोर व्यासः—इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

प्रश्न सं० २०७

श्री चन्दनमलः—क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि बीकानेर बिजलीघर से बिजली मिलने वाले शहरों में बिजली के नए कनेक्शन ने का विचार किया जा रहा है ?

श्री भोलानाथः—जिन इलाकों में कनेक्शन दिया जा सकता है, दिया जाता है लेकिन ऐसे इलाकों में जहाँ पर लाइन नहीं आई है वहां पर देना संभव नहीं । यदि कोई लाइन की कीमत जमा करा दे तो जल्दी से जल्दी प्रबन्ध किया जा सकता है।

श्री संन्तोषसिंहः—जो लाइन लगाई जावेगी वह मालिक की होगी या सरकार की ?

श्री भोलानाथः—लाइन सरकार की होगी । जल्दी के लिये उससे पैसा ले कर लाइन दी जाती है ।

श्री सन्तोषसिंहः—क्या प्राइवेट आदमी अपने पैसे देगा; फिर भी लाइन सरकार की ही रहेगी ?

श्री चन्दनमलः—क्या पैसे देने पर भी लाईन सरकार की ही रहेगी ?

श्री संतोषसिंह:–जोधपुर में प्राइवेट लाइन लगाई गई है और लोगों से पैसे लिये गये हैं ।

श्री भोलानाथ:–यह बात मेरे नोटिस में नहीं है; अगर होगा तो इसकी जांच की जावेगी । प्राइवेट लाइन कोई नहीं लगा सकता ।

श्री सन्तोषसिंह:–जोधपुर में ऐसी लाइनें लगाई गई हैं ।

श्री अध्यक्ष:–You are giving information, rather than seeking it.

प्रश्न सं० २०८

श्री चन्दनमल:–क्या सार्वजनिक मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि चूरू तथा श्री गंगानगर जिले की जनता की मांग तथा वहां पड़े अकाल को देखते हुए सरकार हनुमानगढ़ से सरदार शहर सड़क बनाने का कोई विचार कर रही है?

श्री भोलानाथ:–यह सडक पिछले वर्ष तो फेमिन रिलीफ प्रोग्राम में शामिल नहीं की गई थी । इस वर्ष के लिये नया प्रोग्राम बनाया जा रहा है । अन्य आवश्यक सड़कों के साथ इस सडक के लिए भी विचार किया जावेगा ।

श्री चन्दनमल:–क्या आपने इस सड़क को पंच वर्षीय योजना में शामिल किया है?

श्री भोलानाथ:–आपने तो इसको फैमिन रिलीफ में जोड़ने का प्रश्न पूछा है ।

एक सदस्य:–क्या बीकानेर में ऐसी सड़कें हैं जो इसमें जोड़ी गई ?

श्री चन्दनमल:–सरदारशहर में जब चीफ मिनिस्टर साहब का दौरा हुआ था उस समय उन्होंने इसके लिये आश्वासन दिया था ।

श्री भोलानाथ:–आपने चीफ मिनिस्टर के आश्वासन का कोई प्रश्न नहीं पूछा है ।

श्री मोतीराम:–इस साल फैमिन रिलीफ में कौन कौन सी सड़कें सरकार ने रखी हैं ।

श्री भोलानाथ:–इसके लिये हमें पहले से नहीं सोचना चाहिये ।

श्री मोतीराम:–फेमिन तो पड़ चुका है ।

श्री अध्यक्ष:–नेक्स्ट ।

राजस्थान राज्य सुरक्षा विधेयक, १६५२, के लिये प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति।

श्री अध्यक्ष:–पर्सोनल्स ओफ दी सिलेक्ट कमेटी।

श्री एच. के. व्यास:–ओन ए पोईन्ट आफ ओर्डर, सर।

श्री टीकाराम पालीवाल:–अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सिक्योरिटी ऑफ दी स्टेट बिल के सिलेक्ट कमेटी का निर्णय तो यह सदन पहले कर चुका है। अतः अब में सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम पेश करता हूं; जिससे कि हाउस उसे स्वीकार करे:–

१. में स्वयं	१०. श्री कपिलदेव
२. श्री गोपीलाल यादव	११. श्री शाह आलिमुद्दीन
३. श्री कुम्भाराम	१२. श्री कु० जसवन्तसिंह
४. श्री मथुरादास माथुर	१३. श्री इन्द्रनाथ मोदी
५. श्री वेदपाल त्यागी	१४. श्री रावल संग्रामसिंह
६. श्री सोहनलाल भटनागर	१५. श्री तनसिंह
७. श्री बद्रीलाल	१६. श्री हरिदत्त
८. श्री दामोदर व्यास	१७. श्री एच. के. व्यास
९. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल	१८. एडवोकेट जनरल

इस तरह से १८ सदस्य होते हैं। १५ सदस्यों से ज्यादा होने पर स हाउस की अनुमति लेने की आवश्यकता होती है; अतः अनुमति दी जावे।

श्री अध्यक्ष:—The question is that the following members be taken on the Select Committee in respect of the Rajasthan Security of State Bill 1952.:—

१. श्री टीकाराम पालीवाल	८. श्री दामोदर व्यास
२. श्री गोपीलाल यादव	९. श्री गुलाबचन्द कांसलीवाल
३. श्री कुम्भाराम	१० श्री कपिलदेव
४. श्री मथुरादास माथुर	११. श्री शाह आलिमुद्दीन
५. श्री वेदपाल त्यागी	१२. श्री कु० जसवन्तसिंह
६ श्री सोहनलाल भबनागर	१३. श्री इन्द्रनाथ मोदी
७. श्री बद्रीलाल	१४. श्री रावल संग्रामसिंह

१५. श्री तनसिंह
१६ श्री हरिदत्त
१७. श्री एच. के. व्यास
१८ एडवोकेट जनरल

(स्वीकृत)

राजस्थान भूमि अर्जन विधयक, १९५२, के लिए प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: Mr. Speaker, Sir, I beg to move that the following be appointed as members of the Select Committee on the Rajasthan Land Acquisition Bill, 1952, as required under rule 125 (2) of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajasthan Legislative Assembly:—

१. मैं स्वयं
२. डा० मंगलसिंह
३. चौ० कुम्भाराम
४. श्री गुलाबचन्द कासलीवाल
५. श्री दिलीप सिंह
६. श्री तेजमल बापना
७. श्री किशनलाल शाह
८. श्री घासीराम यादव
९. श्री चन्दन मल
१०. श्री माधो सिंह (भैंसवाड़ा)
११. श्री दामोदर व्यास
१२. श्री राजा मानसिंह
१३. श्री मानसिंह (महार)
१४. श्री श्रीभानसिंह
१५. श्री जयेन्द्र सिंह
१६. श्री अवनि कुमार
१७. श्री जवान सिंह (सिरोही)
१८. श्री भैरूंसिह (दांतारामगढ़)
१९. एडवोकेट जनरल

इसमें १५ से अधिक सदस्य होने की वजह से इसकी भी स्वीकृति प्रदान की जाय।

श्री अध्यक्ष:—The question is that the following members be taken on the Select Committee in respect of the Rajasthan Land Acquisition Bill, 1952:—

१. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२. डा० मंगलसिंह
३. चौ० कुम्भाराम
४. श्री गलाबचन्द कासलीवाल
५. श्री दिलीपसिंह
६. श्री तेजमल बापना
७. श्री किशनलाल शाह
८. श्री घासीराम यादव
९. श्री चन्दनमल
१०. श्री माधोसिंह (भैंसवाड़ा)
११. श्री दामोदर व्यास
१२. श्री राजा मानसिंह

१३. श्री मानसिंह (महार)
१४. श्री श्रीमानसिंह
१५. श्री जयेन्द्रसिंह
१६. श्री अवनिकुमार
१७. श्री जवानसिंह (सिरोही)
१८. श्री भैरूंसिंह (दांतारामगढ़)
१९. एडवोकेट जनरल

(स्वीकृत)

राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, १९५२ के लिए प्रवर समिति के सदस्यों की नियुक्ति

श्री भोलानाथ:—अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि, प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन की नियमावली के नियम १२५ (२) की आवश्यकता के अनुसार निम्नलिखित सदस्य इस सिलेक्ट कमेटी में नियुक्त किये जायं:—

१. मैं स्वयं
२. श्री माधवप्रसाद एन. पंडित
३. श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा
४. श्री बद्रीप्रसाद गुप्त
५. श्री रामजीलाल यादव
६. श्री मोतीचन्द खजान्ची
७. श्री प्रभुदयाल
८. श्री श्यामलाल गोयल
९. श्री इन्द्रनाथ मोदी
१०. श्री मदन मोहन
११. श्री तेजसिंह
१२. श्री संतोषसिंह
१३. श्री भैरूंसिंह ऑफ केलवा
१४. श्री गंगासिंह
१५. एडवोकेट जनरल।

श्री अध्यक्ष:—प्रश्न यह है कि निम्नलिखित व्यक्ति राजस्थान मुद्रांक विधि (अन्तर्ग्रहण) (संशोधन) विधेयक, १९५२, की प्रवर समिति के सदस्य नियुक्त किये जावें।

१. श्री भोलानाथ
२. श्री माधवप्रसाद एन. पंडित
३. श्री त्रिवेणी श्याम शर्मा
४. श्री बद्रीप्रसाद गुप्त
५. श्री रामजीलाल यादव
६. श्री मोतीचन्द खजान्ची
७. श्री प्रभुदयाल
८ श्री श्यामलाल गोयल
९. श्री इन्द्रनाथ मोदी
१०. श्री मदन मोहन
११. श्री तेजसिंह
१२ श्री संतोषसिंह
१३. श्री भैरूंसिंह ऑफ केलवा
१४. श्री गंगासिंह
१५. एडवोकेट जनरल

(स्वीकृत)

स्तगन प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष:—I have received an adjournment motion given by Shri H. K. Vyas saying that he wants to ask leave to move a motion for the adjournment of the business of the Assembly for the purpose of discussing a subject of urgent public importance; namely—the grave situation arising out of the refusal of the Government to reconsider the scheme of integration of the employees of the Secretariat.

I would like to have the views of the Leader of the House as to the urgency of the matter.

श्री टीकाराम पालीवाल (मुख्य मंत्री):—अध्यक्ष महोदय, जिस मोशन का नोटिस अभी सदन के सामने आया है, मैं निवेदन करुंगा कि उसमें कोई डेफिनिट बात नहीं कही गई है। इस मोशन में सेक्रेटेरियेट के इन्टेग्रेशन के कई पार्ट्स हैं और उनमें से उसका इन्टेग्रेशन बहुत सारा काफी समय पहले हो चुका, जिसमें कोई विशेष स्थिति पैदा नहीं हुई। कौन सी विशेष स्थिति को रेफर किया जा रहा है; यह डेफिनिटली मालूम नहीं होता है? सेक्रेटेरियेट में कई केटेगेरीज गवर्नमेन्ट एम्प्लोईज की हैं, सेक्रेट्रीज की है, डिप्टी सेक्रेट्रीज की है, असिस्टेन्ट सेक्रेट्रीज की है, मिनिस्टीरियल स्टाफ की हैं जिसमें सुप्रिन्टेन्डेन्ट, सीनियर क्लार्कस्, अपर डिविजन क्लार्कस्, लोअर डिविजन क्लार्कस् आदि २ हैं। मोशन में कोई डेफिनिट बात नहीं कही गई है। सारे सेक्रेटेरियेट की अगर बात करते हैं तो यह गलत है। कोई सिच्युएशन ऐसी पैदा नहीं हुई है। सेक्रेटेरियेट का इन्टिग्रेशन बहुत दिनों से चल रहा है और वह काफी कन्सीड्रेशन और रिकन्सिड्रेशन के बाद किया गया है।

मेरा निवेदन है कि न-तो यह डेफिनिट है और न इसमें कोई अर्जेन्सी है और न वह बात है जो कि ऐसी पैदा हो गई है। यह सही है कि सेक्रेटेरियेट में कुछ एम्प्लॉईज में स्वभावतः असंतोष हुआ। केडर्स जो पहले की बनी हुई थी, राजस्थान सरकार की आवश्यकताओं को देखते हुए वे बहुत बड़ी थीं; उनको घटाना पड़ा। शुरू में जब राजस्थान बना तो भिन्न भिन्न रियासतों के सेक्रेटेरियेट एम्प्लॉईज, उन्ही स्थानों पर, जिन स्थानों पर वे अपनी ओरिजिनल स्टेटस में थे, राजस्थान के सेक्रेटेरियेट में बुला लिये गये। काम की आवश्यकता से उनका नम्बर कही अधिक था। राजस्थान की वर्तमान आर्थिक स्थिति को देखते हुए केवल कुछ लोगों को उन्हीं पदों पर बनाये रखने के कारण ही उनकी पोस्ट्स को कायम नहीं रखा जा सकता है; काम की आवश्यकतानुसार ही केडर नियुक्त किये गये थे; जिससे संख्या में कमी हुई। सेक्रेट्रीज की संख्या में कमी हुई, डिप्टी सेक्रेट्रीज की संख्या में भी कमी हुई, असिस्टेन्ट सेक्रेट्रीज की संख्या में भी कमी हुई। मतलब यह है कि प्रत्येक केटेगरी के एम्पलाईज की संख्या में कमी हुई और वह इस तरीके से हो गई कि उस में कहीं कोई यह न कह सके कि बहुत बड़ा कोई अनरेस्ट हो गया हो। ऐसी कोई चीज नहीं है। अभी अन्तिम जो स्टेप कुछ समय पहले लिया गया वह मिनिस्टीरियल स्टाफ के बारे में था। निश्चित रूप से मिनिस्टीरियल स्टाफ के कुछ लोगों में असंतोष हुआ। लेकिन वह

अनिवार्य था । जहां तक हो सका वहां तक अधिक से अधिक सुविधायें प्रदान की गई लेकिन जब संख्या कम होती है तो कुछ लोगों को अपने पूर्व स्थानों से हटना ही पड़ता है । लेकिन सरकार ने यह प्रयत्न किया है कि वह अपनी नौकरियों से हटाये नहीं जाय । उन्हें दूसरे विभागों में जहां जरूरत थी, जहां उन्हें काम पर लगाया जा सकता था, उनको काम पर लगाया गया । इसलिए ऐसी कोई अर्जेन्ट स्थिति नहीं है कि जिस से हाउस को एडजोर्न करने का मोशन लाया जाता । मूवर महोदय ने इस प्रकार के मोशन को रखते हुए कामों की कठिनाइयों पर कोई ध्यान नहीं दिया है ।

इन्टिग्रेशन पिछले तीन वर्ष से यानी जब से राजस्थान बना है तब से चल रहा है । परन्तु तब से अब तक ऐसा ही होता रहा है कि कभी कन्सिड्रेशन हुआ कभी रिकन्सिड्रेशन हुआ । पिछले महीने में एजीटेशन हुआ और चीज पड़ी रही; लिंगर होती रही । वर्तमान सरकार ने पिछले ५ महीनों में बहुत कुछ काम किया है और इन्टिग्रेशन के काम को करीब करीब अन्तिमरूप दिया जा चुका है । सरकार यह जानती थी कि कुछ अप्रिय निर्णय करना आवश्यक है । चीप पोपुलरिटी के लिए ही यदि सरकार उत्सुक रही तो यह काम शायद पछले ६ महीने में जो हुआ है वह अगले ३ वर्ष तक और उलझा रह सकता था; लेकिन उससे न सरविसेज का न इस राज्य का और न इस राज्य की जनता का हित होने वाला था ।

इस राज्य में सुशासन की सुव्यवस्था की दृष्टि से, इस राज्य के हित—साधन की दृष्टि से वर्तमान सरकार ने कुछ अप्रिय निश्चयों को, यह जानते हुए कि कुछ लोग नाराज होंगे; ऐसा किया । कुछ ऐसे तत्व हैं जिनकी हमेशा से यह प्रवृत्ति रही है कि वे सरकार को बदनाम करें । यह जानते हुए कि वे सरकार को इस मामले में बदनाम करेंगे, अप्रिय कदम होते हुए भी, सरकार ने उठाया । सरकार ने यह जिम्मेदारी ली । कोई भी सरकार जो जिम्मेदारी की भावना रखती हो इस प्रकार के निश्चय को सिर्फ इसलिये टाल नहीं सकती कि कुछ लोग नाराज होंगे । कुछ तत्व, विरोधी तत्व, राजनैतिक विरोध के लिए इसका फायदा उठायेंगे; इस प्रकार के निश्चयों को टाला नहीं जा सकता । अतः निर्णय को लेना पड़ा और लिया गया । मैं मानता हूं कि कुछ लोग इस प्रकार की स्थिति का राजनैतिक फायदा उठाना चाहते हैं और सार्वजनिक सेवाओं में राजनीति को प्रविष्ट करना चाहते हैं और सेवाओं में भी राजनैतिक भावनाओं का और राजनैतिक उद्देश्यों का उपयोग करना चाहते हैं । वे इतना ही नहीं कर रहे हैं; वे सार्वजनिक सेवाओं का ही हित नहीं कर रहे हैं सार्वजनिक सेवाओं की सहायता करने का बहाना प्रकट करते हैं, उनके साथ उनकी वास्तविक सहानुभूति नहीं है । गलत तरीके से उन्हें भड़काना अच्छा नहीं होगा । यह बात उन कर्मचारियों के हित की नहीं होगी । मैं नम्रतापूर्वक किन्तु मजबूती के साथ यह कहना चाहता हूं कि यह राज्य के लिए अच्छी प्रवृत्ति नहीं हैं, सेवाओं के लिए अच्छी बात नहीं है । इस प्रकार की राजनैतिक दलबन्दी उनके लिए अच्छी नहीं है । जैसी जिम्मेदार आज ,वर्तमान सरकार है; हो सकता है कल दूसरी सरकार आसकती है; कल नहीं तो ५ वर्ष, १० वर्ष बाद आ सकती है । यदि इस प्रकार की स्थिति

का अनुचित लाभ उठाने का प्रयत्न किया गया तो यह राजनैतिक ईमानदारी नहीं कही जा सकती। मेरा निवेदन है कि यह मोशन न इनओर्डर (in order) है और न अर्जेन्ट पब्लिक इम्पोर्टेन्स का है।

श्री भैरूंसिंह खेजड़ला:—मैं कुछ सूचना माननीय मंत्री महोदय को इस विषय में देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:—No.

श्री एच. के. व्यास: I want to say ....

श्री अध्यक्ष:—ऑर्डर, ऑर्डर! मैं यह मानता हूं कि एडजोर्नमेन्ट मोशन की मन्शा होती है किसी डेफिनिट मेटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेन्स की। उसको डिस्कस करना होता है तो एडजोर्नमेन्ट मोशन आता है। इन्टिग्रेशन ऑफ सर्विसेज के मामले पर, हम जब से यहां एकत्रित हुए हैं तब से राजप्रमुख के भाषण पर, नो कानफिडेन्स मोशन पर, एप्रोप्रियेशन बिल पर और डिमान्ड्स पर बोलते हुए बराबर वादविवाद होता रहा है। यह इन्टिग्रेशन की स्कीम का मामला कोई ऐसा नहीं है जो डेफिनिट हो या अर्जेन्ट पब्लिक इम्पॉर्टेन्स का हो; इसलिये मैं इसको ओवररूल करता हूं।

जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स (संशोधन,) अधिनियम, १९५२.

श्री रामकरण जोशी:—माननीय अध्यक्ष, जयपुर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्ज अधिनियम १९४० को और संशोधित करने वाला विधेयक पुरः स्थापित करता हूं।

किशनगढ़ मिल की तालाबन्दी के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण

श्री अध्यक्ष:—श्री नाथूराम मिर्धा एप्रोप्रियेशन बिल पर हुए वाद–विवाद का जवाब देंगे।

श्री नाथूराम मिर्धा:—माननीय अध्यक्ष, मैं सारी डिबेट का जवाब दूं; इससे पहले एक दो पोइन्ट जो इस सेशन में किशनगढ़ मिल के मामले में उठाये गये थे उसके बारे में सिर्फ पांच मिनिट के लिये संबन्धित मंत्री महोदय हाउस के समक्ष जानकारी रखना चाहते हैं। मैं सारी डिबेट का जवाब २५ मिनिट में दे दूंगा।

श्री रामकरण जोशी:—माननीय अध्यक्ष, एप्रोप्रियेशन बिल पर और ग्रान्ट्स के सिलसिले में बोलते हुए दो एक माननीय सदस्यों ने किशनगढ़ मिल के बारे में जिक्र किया था। वह जिक्र तथ्यों से परे था। इसमें मजदूरों की भलाई का ख्याल बिल्कुल नहीं था और मिल के चलते रहने का भी ख्याल बिल्कुल नहीं था। वह सिर्फ आलोचना की दृष्टि से, जैसा कि कुछ–एक तत्वों का काम

बन गया है कि रोजमर्रा के चलते हुए कामों म कुछ अड़चनें पैदा करें, रुकावटें पैदा करें; इसी कारण यह बात पैदा हुई है। किशनगढ़ मिल का मामला सरकार के सामने बहुत दिनों से है और सरकार सदा जागरूक होकर शुरू से इस मामले को बड़ी दिलचस्पी और लगन के साथ निभाती चली आ रही है। मेरे मित्रों ने परसों के प्रदर्शन को लेकर उसे एक आलोचना का विषय बनाने की कोशिश की थी। मजदूरों से मेरी बातचीत हुई और मजदूरों ने अपनी गलती महसूस की। जो उन्होंने प्रदर्शन असेम्बली के दरवाजे पर किया था उसके लिए अपनी गलती को उन्होंने स्वीकार किया है और उन्होंने फिर इस गलती को दुबारा नहीं दोहराया। कुछ मित्रों को इससे इस बात का मौका मिल गया कि इस सवाल को लेकर सदन का बहुत समय बेकार करें।

एग्रीमेन्ट का जिक्र किया गया और कहा गया कि चुनाव के दिनों में मजदूरों से झूठे वायदे किये गये। मैं आपको उन सही तथ्यों से वाकिफ कराना चाहता हूं कि यह समझौता सरकार ने बीच में पड़कर नहीं किया था। मजदूर और मैनेजमेन्ट का आपसी समझौता था और वह आपस में मिलकर किया गया था। सरकार के पास मिलेजुले हस्ताक्षरों से प्रार्थना की गई थी कि सरकार इस समझौते को इम्प्लीमेन्ट करने में मदद करे। सरकार ने इस सम्बन्ध में भारत सरकार से जो मदद चाही थी वह यह थी कि जल्दी से जल्दी मिल का हिसाब देखने के लिए व मिल के काम की जांच के लिए एक एक्सपर्ट बुला दिया जाय। मिल घाटे में चलता है या नफे में इस बात की जांच करने के लिये ऐसा किया गया। अगर घाटे में चलता है तो इसका क्या कारण है; इसकी भी जांच करे।

दूसरी मांग थी कन्सिलियेशन बोर्ड के निर्माण की। इसके लिये भारत सरकार से मांग की गई थी कि वे इसकी व्यवस्था करदें।

दूसरी बात जो एग्रीमेन्ट इस तरह से आपस में किया था कुछ कानूनी था। इस बारे में दोनों पार्टियों को बुलाकर एक कान्फ्रेन्स का आयोजन करने का निश्चय किया गया; यह बताने के लिये कि जो एग्रीमेन्ट किया गया है वह गैर कानूनी तो नहीं है। इसी बीच में १७ अक्टूबर को लेबर और मेनेजमेन्ट में नया झगड़ा खड़ा हो गया। इस झगड़े के कारण दो दिन तक मिल मजदूरों की तरफ से काम बन्द रहा और मेनेजमेन्ट की उनके बारे में शिकायत है। जो सरकारी अधिकारी वहां नियुक्त हैं, पुलिस के कर्मचारी और एस. डी. ओ. है उनकी सूचना है कि इन दो दिनों के अन्दर मजदूरों की ओर से स्ट्राइक किया जा रहा है। उसके बाद उस सिचुएशन को ठीक करने में उसे सुधारने में सरकार जागरूक रही और १९ तारीख को लेबर ने सारा कामकाज वापिस लिया उसी प्रकार लिया जिस प्रकार की परसों यहां प्रदर्शन किया गया था और उसे वापिस लिया गया था। उसी दिन मिल के मैनेजमेन्ट की तरफ से मिल के दरवाजे पर मिल के क्लोजर का नोटिस लगा दिया गया और

जिसके अनुसार यह कार्यवाही की गई। नोटिस का पीरियड अभी चालू है। इस बीच में सरकार ने जो भी मिल को खुलवाने के लिए सम्भव तरीके थे, काम में लिए। कानूनी कार्यवाही भी जारी रही। उस बीच में मजदूरों के कदमों को देख कर कुछ मित्रों ने इसे आलोचना का विषय बना लिया और इसे सदन में पेश भी किया।

आज स्थिति यह है कि एक ओर डाइरेक्टर्स बैठे हुए हैं और दूसरी ओर लेबर के लीडर्स भी बैठे हुए हैं। लेबर के लीडर्स और मेनेजमेन्ट के डाइरेक्टर्स में आपस में बातचीत भी चल रही है। यदि वे किसी कन्सीड्रेशन पर नहीं पहुंचते हैं तो सरकार को कानूनी कार्यवाही करने की नौबत आज ही आ सकती है। परसों १२ बजे मजदूर और लेबर लीडर्स और मिल के मेनेजमेन्ट से बात चीत की गई थी। उन्होंने कहा था कि वे किसी निर्णय पर पहुंचने वाले हैं; कानूनी कार्यवाही न की जाय। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि एक मित्र ने जो कहा था कि जब मिल को बन्द कर दिया गया तो शीघ्र ही कानूनी कार्यवाही की जानी चाहिए थी, सिक्युरिटी एक्ट लागू है और डाइरेक्टर्स को जेलखाने भेज देना चाहिए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिल को बन्द कर देना और बात है और उसको खड़ा रखना, दूसरी बात है। १५०० मजदूरों के जीवन और उनके परिवार का सवाल है; मिल मालिक को जेलखाने में डालना या जुर्माना करना दूसरी बात है। इस बात से उसे सजा जरूर मिलती है किन्तु मिल तो चालू नहीं होता। उस नुकसान की तरफ मेरे मित्र का ध्यान नहीं था। मामूली मजदूर भी समझता है कि मिल के मेनेजमेन्ट और उनमें समझौता हो जाय और मिल खड़ा रह जाय। मैं नहीं समझता कि माननीय साथी इस बात को न समझते हों। लेकिन वे राइट और रोंग को नहीं देखते; गवनमेन्ट के फसले की आलोचना करना ही उनका विषय है।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने किशनगढ़ मिल की स्थिति को बनाये रखने की कोशिश की और तत्परता के साथ मजदूरों के हकों की रक्षा की। इसके साथ ही मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कानूनी कार्यवाही अभी तमाम बाकी है और उसमें कोई डिले नहीं की गई है। वे आपस में बातचीत कर रहे हैं। मैं यह भावना व्यक्त करना चाहता हूं कि हम भी कोशिश करें कि वे आपस में मिल कर समझौता करलें, जिससे मिल चालू हो जाय; अन्यथा इससे बहुत बड़ा नुक्सान हो जायगा। किशनगढ़ मिल के बारे में जो मोशन पेश किया गया था वह गलत था। यदि एप्रोप्रियेशन बिल की आलोचना करने के तथ्य से ही इसकी आलोचना की गई तो आपको फाइनेन्स मिनिस्टर साहब बतावेंगे। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि किशनगढ़ मिल का मामला सरकार के पास विचाराधीन है और वह उसके प्रति जागरूक है। सरकार ने तत्परता से ऐसे मामले निपटाये हैं और निपटाती आई है और आगे भी निपटाती रहेगी; इसमें किसी को शंका नहीं होनी चाहिए।

राजस्थान विनियोग (संख्या ५) विधेयक, १९५२

श्री नाथूराम मिर्धा:—माननीय अध्यक्ष ! एप्रोप्रियेशन बिल के सिलसिले में कल हाउस में लगातार काफी बहस चली थी। बहुत से सदस्यों ने, जिन्होंने इस सदन में कभी भाषण नहीं दिये थे उन्होंने भी पहली मर्तबा भाषण देने का मौका कल इस बिल पर बोल कर प्राप्त किया; इसकी मुझको बड़ी खुशी है। परन्तु बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि जिस तरह से कल इस सदन में हमारे माननीय सदस्यों ने भाषण दिये, जो कुछ उन्होंने यहां रखा; उसमें से कुछ बातें वे ऐसी बोल रहे थे जो हमारे प्रान्त की स्थिति को देख कर ध्यान में रखने लायक है। हमारी इस प्रान्त की जो आर्थिक स्थिति है उसे हम थोड़ा बहुत ध्यान में रखें और उस स्थिति को ध्यान में रखते हुए माननीय सदस्यगण जो कुछ यहां कहें; उस पर थोड़ा विचार करें तो महसूस होगा कि एक तरफ तो माननीय सदस्य जो जगह जगह की कोन्स्टिटयुएन्सी से इस हाउस में आये हैं और जो अपनी कोन्स्टिटयुएन्सी की मांगों को सरकार के सामने, इस सदन के सामने, रखने का प्रयत्न कर रहे हैं और वैसा उन्होंने कल भी किया, दूसरी तरफ वे सब जगह फैमिन रिलीफ इत्यादि में सहायता देने के लिए चारों तरफ से सदन में जोर देते हैं। उसके साथ ही मेरे माननीय सदस्य हमेशा स्टेट के टैक्स-स्ट्रक्चर का जिक्र किया करते हैं और यह कहा करते हैं कि टैक्स का भारी बोझा गरीब जनता पर ज्यादा है और प्रान्त की अमीर जनता से टैक्स जो ज्यादा लिया जाना चाहिए नहीं लिया जाता। वे माननीय सदस्य कन्स्ट्रक्टिव सुझावों के रूप में कभी भी यह बतलाने की कृपा नहीं करते कि किस सेक्शन से कौन से टैक्स लगाने की बात है। यदि वे खुल कर बतावें तो मैं इस हाउस में खड़े होकर जवाब दूं कि वह वाजिब है और सरकार भी इसका प्रयत्न करे। लेकिन वे गोलमाल में कहते हैं कि सरकार यह नहीं करना चाहती, वह नहीं करना चाहती, छूट नहीं करना चाहती, अमुक-अमुक खर्चा करना चाहती है। दूसरी तरफ यह भी कहते हैं कि जो टैक्सेज हैं वे ठीक नहीं हैं और उन्हें सरकार को कम करना चाहिए। मैं आपको बतलाऊं कि हमारी आर्थिक स्थिति यह है कि आज हमारा ओवर ड्राफ्ट एकाउन्ट मेग्जिमम लिमिट पर है, हमारे वेज एण्ड मीन्स के लिमिट जो हमारे बैंक्स है, मेग्जिमम पर पहुंच चुके हैं। मैं नहीं कह सकता कि आया आप इन सारी बातों को जानते हैं या नहीं। कहा जाता है कि सरकार काम चलाए। इन सबको भूल कर भी, माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए थे और कुछ बोल रहे थे तो मुझे यह महसूस हो रहा था कि वे माननीय सदस्य यह भूल जाते हैं कि वे केवल मनोरंजन करने के लिए ही बातें करते हैं; उनमें कोई तथ्य नहीं होता। उनमें तथ्य बहुत कम दिखाई देता है। वे यह भी भूल जाते हैं कि जो कुछ वे बोल रहे हैं वे भूल कर बोलने की बातें नहीं हैं। लगातार इसका रेकर्ड रखा जा रहा है और जिसको आने वाले पढ़ेंगे और कहेंगे कि सदस्यों ने लेजिस्लेचर में भाग लेकर क्या किया; वे इस बात को भूल जाते हैं। यदि मैं सारी इन्सटान्सेज का डिटेल में जिक्र करूं तो इस हाउस का काफी समय लिया जा सकता है और इतना समय लेना उचित नहीं होगा। गैर जिम्मेवार तरीके

स जो बातें यहां कही जाती हैं वे उचित नहीं हैं। कोढ़ियों को निकाल दिया गया, कुत्तों को पकड़ना बन्द कर दिया गया, फाइनेन्स सेक्रेटरी को जो बंगला दिया गया है वह बहुत ज्यादा कीमती है, फाइनेन्स सेक्रेटरी फाइनेन्स मिनिस्टर से ज्यादा ताकत रखता है; ये सब बातें सदस्यों द्वारा हाउस में कही जाती हैं। ऐसी बातें इस हाउस के सदस्यों को नहीं कहनी चाहिये। कोढ़ियों को कहीं नहीं निकाला गया है। कुत्तों को पकड़ने का काम म्युनिसिपेलिटी का है। सरकार से इसका सम्बन्ध न तो पहले था और न अब है। फाइनेन्स सेक्रेटरी कितने महत्व का काम कर रहे हैं यह आपको सोचना चाहिये। उन्होंने कितनी विद्वत्ता और मेहनत के साथ फाइनेन्शियल मेमोरेन्डम को तैयार किया था जिसकी तारीफ स्वयं फाइनेन्स कमीशन की है। उन्होंने किस तरह रात दिन महनत करके हमारे प्रान्त के सारे हालात बिल्कुल ठीक और सही तरीके से कमीशन के सामने रखे हैं। उन्होंने लगातार मेहनत करके काफी महत्व का काम हमारे लिये किया है। आपने मंत्री और सेक्रेटरी के बीच खाई डालने का जो प्रयत्न किया है वह मेरी नजरों में ठीक नहीं है। मंत्री हमेशा पोलिसी निर्धारित करते हैं और उसके मुताबिक सेक्रेटरी काम करते हैं। इस तरह की बातें करना जिम्मेदार सदस्यों का काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय जिस समय सदन के सामने कुछ सदस्य अपनी बातें कह रहे थे उस समय मुझे महसूस हो रहा था कि कुछ सदस्यों ने ऐसी बातें; चाहे वे गलत ही हैं, इसलिये कही हैं कि उनसे सम्बन्धित मंत्रियों पर कुछ प्रभाव पड़ेगा और सम्बन्धित अधिकारियों पर कुछ दबाव पड़ेगा और वे जैसा चाहते हैं वैसा काम हो जायगा। कल जब माननीय सदस्यों के भाषण हो रहे थे तो सवालों के जवाब देते समय भी मुझे यह मालूम हो रहा था कि हमें इर्रिटेट (irritate) करने के लिये बातें कुछ कही जा रही थीं। आज भी अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि सवाल इस तरह के होने चाहिये जिनसे किसी को इर्रिटेशन न हो। मैं चाहता हूं कि हमारे सदस्य महोदय भी इस बात का ध्यान रखें कि एकही बात को बार-बार न कहें। जब कि उनको कई बार उत्तर दे दिया जाता है तब फिर बार-बार दबाव डालने के लिये वे ही बातें क्यों कही जाती हैं? इस बात का यदि विचार रखेंगे तो मामूली बातों में हाउस का समय व्यर्थ नहीं जायगा। मैं हर सवाल का जवाब तो यहां नहीं दे सकता फिर भी विभिन्न बातों की जो आलोचना की गई है उनका थोड़ा सा जवाब में आपके जरिये से सदन के सदस्यों के सामने अर्ज करता हूं।

शिक्षा के मामले को लेकर विभिन्न सदस्यों ने बहुत सी बातें कही हैं। यहां तक कहा गया है कि हर मामले में सरकार द्वारा पक्षपातपूर्ण नीति अपनाई गई है। अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने इन सवालों का कई बार जवाब दिया है। शिक्षा के महकमे में किसी तरह की पक्षपातपूर्ण नीति का कभी भी आधार नहीं रहा है। एपॉइन्टमेन्ट के सवाल को ही ले लीजिये। टीचर्स का एपॉइन्टमेन्ट भिन्न-भिन्न अफसरों द्वारा किया जाता ह। मिडिल स्कूल के मास्टरों की नियुक्ति इन्सपेक्टर ओफ स्कूल्स द्वारा की जाती

है । अर्जियें मांगी जाती हैं, वान्टस् गजट में और अखबारों में निकलती हैं; फिर योग्य आदमियों का इन्टरव्यू करके सिलेक्शन किया जाता है । इसी तरह से अन्य मास्टरों का एपोइन्टमेन्ट डाइरेक्टर या डिप्टी डाइरेक्टर द्वारा किया जाता है और १२०) रु० मासिक से अधिक वेतन पाने वाले मास्टरों की नियुक्ति पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा की जाती है । इसलिये यह आरोप लगाना कि बहुत अधिक अर्जियें आती हैं, जिनमें से इच्छानुसार आदमी ले लिये जाते हैं और बाकी यों ही रह जाते हैं और पक्षपात किया जाता है; मैं समझता हूं कि यह बात सही नहीं है । माननीय सदस्यों का शिक्षा विभाग के प्रति यह कड़ा रुख है, जो सही नहीं है । इसी प्रकार टेक्स्ट बुक्स और सिलेबस के लिये सारी बातें मैंने समय समय पर सदन के सामने रखी हैं । अध्यापकों के वेतन आदि के बारे में जो बातें कही गई हैं उनके बारे में भी मैंने पहले भी अर्ज किया था कि दूसरे पार्ट "ए" और "बी" स्टेटस के अध्यापकों के वेतन का ध्यान रखते हुए और अपने यहां की आर्थिक स्थिति का ध्यान रखते हुए उनका वेतन निर्धारित किया गया है, जो अन्य कई स्थानों से अच्छा है । ऐसी परिस्थिति में अध्यापकों का वेतन और अधिक बढ़ाने की गुंजाइश नहीं है । ग्रान्ट्स इन एड जो स्कूलों को मिलती हैं उनके बारे में भी कई उदाहरण सामने रखे गये और बहुत कुछ कहा गया । मैंने हाउस में सदस्यों के सामने कई बार निवेदन किया है कि ग्रान्ट इन एड के लिये रेकरिंग और नोन रेकरिंग दोनों तरह की एड के लिये रूल्स बने हुए हैं। उन्हीं के अनुसार सभी इन्स्टिटयुशन्स कार्यवाही करते हैं और उन्हीं रूल्स के मुताबिक सबको ग्रान्ट इन एड मिलती है । यदि रूल्स के अनुसार चलते हुए भी सदस्यों को पक्षपात दिखाई दे तो अध्यक्ष महोदय, इसमें सरकार का कोई दोष नहीं है ।

शिक्षा विभाग पर कहते हुए बहुत से सदस्यों ने अपने अपने हलके की हाई स्कूल्स, मिडिल स्कूल्स और प्राइमरी स्कूल्स के बारे में बहुतसी बातें सदन के सामने रखी हैं । मैं, अध्यक्ष महोदय, इस बारे में यह बताना चाहता हूं कि मैंने समय समय पर यह मन्जूर किया है और आज भी फिर मन्जूर करना चाहता हूं कि कुछ स्कूलों में पूरा फर्निचर नहीं है, कुछ स्कूलों के लिये बिल्डिंग्ज की कमी है और कुछ स्कूलों में किन्हीं खास विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक समय पर नहीं पहुंच पाते हैं और किन्हीं स्कूलों में टाइप राइटर्स की भी कमी है । इन बातों को मैं पहले ही कुबूल कर चुका हूं और आज भी कुबूल करने को तैयार हूं और यह भी बता देना चाहता हूं कि इन सारी तकलीफों को दूर करने के लिये सरकार की तरफ से पूरा प्रयत्न किया जा रहा है । एक माननीय सदस्य ने यह भी कहा था कि शिक्षा विभाग का इन्टीग्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। शिक्षा विभाग एस्टेब्लिशमेन्ट बहुत बड़ा है जिसमें २५ हजार शिक्षक काम करते हैं । उनके इन्टीग्रेशन का काम विभाग की तरफ से तो पूरा हो चुका है लेकिन एकाउन्टेन्ट जनरल को उसमें कुछ आपत्ति है इसलिये उस विभाग की पार्टियें डिविजनों में घूम रही है और नये ग्रेड्स में उनका फिक्सेशन किया जा रहा है । मेरे महकमे की तरफ से इस बात का पूरा प्रयत्न किया जा रहा है कि उनको नये ग्रेड का पैसा जल्दी से जल्दी दिलाया जाय ।

इसलिए शिक्षा विभाग के बारे में इतनी ही बातें कह कर थोड़ी सी बातें Agriculture Department के बारे में कहूंगा । जो बहुत से Points माननीय सदस्यों ने अपनी २ कौंस्टिट्युऐंसी के बारे में उठाये हैं और तकाबी के बारे में Questions रखे हैं, माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन की जानकारी के लिए सूचित करना चाहता हूं कि तकाबी के बारे में गवर्नमेन्ट की जो Policy है वे सारी बातें प्रश्नों का उत्तर देते समय और बहस के वक्त रख दी गई हैं । तकाबी दो तरह के कामों के लिए दी जाती है; एक तो मेकेनाइज्ड कल्टिवेशन के लिए और दूसरी कुओं के लिए, बैलों के लिए और बीज के रूप में । मेकेनाइज्ड कल्टिवेशन के रूप में जिनको तकाबी दी गई है उसका जवाब नाम तक लेकर दिया जा चुका है । तकाबी देने के लिए तकाबी के Rules बने हुए हैं, उनके माफिक सब को तकाबी draw करने का अधिकार है । फिर भी House में चारों ओर से आवाज आती है कि इसमें भ्रष्टाचार है । माननीय अध्यक्ष, मैं इस सम्बन्ध में अर्ज करना चाहता हूं कि इस तकाबी की एक नियत रकम है; इस लिए सब को नहीं मिल सकती । जिनको नहीं मिलती है तो उनको नाराजी होती है और कह देते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है । सिर्फ ऐसा कहने के बजाय अगर माननीय सदस्यगण इस सम्बन्ध में दिलचस्पी स काम ल और इस बात का प्रयास करें कि तकाबी उन्हीं को मिले जिनको ज्यादा जरूरत है, उन्हीं को सब से पहले तकाबी दिलाने की कोशिश करें और इसकी खिलाफवर्जी अगर कोई अफसर करता है तो उसको सरकार के नोटिस में लायें तो सरकार की ओर से प्रयास किया जायगा और यह सब बातें दूर हो जायंगी ।

अब मैं Seeds के बारे में कुछ अर्ज करूंगा । Seeds के बारे में कहा गया है कि बीज कई जगह मिला नहीं है । वास्तव में बात यह है कि वह कई जगह भेजा है पर पहुंचा नहीं है । इस सम्बन्ध में, माननीय अध्यक्ष, मैं सदन को सूचित कर देना चाहता हूं कि Seeds तकसीम करने के लिए बहुत ही advance में भेज दिया गया है और कई जगह मिल भी गया है । हो सकता है कि कोई एक दो जगह Difficulty रह गई हो; तो माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि ऐसी बातें इस सदन में कहने के बजाय, संबन्धित अधिकारियों के नोटिस में लायें और वह भी नहीं करें तो उसके उच्च अधिकारी के सामने लायें तो बहुत अच्छा होगा । इस सदन में इस तरह की छोटी २ बातें रखने से सदन का समय भी खराब होता है और जिनके लिए यह बातें कही जाती हैं उनका मतलब भी हल नहीं होता ।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे इस तरह की बातों को सदन में रखने के बजाय सबन्धित अधिकारियों, मंत्रालयों और सचिवालयों में जाकर इन बातों का पता चला लें, जानकारी हासिल कर लें तो इन बातों का जबाब उन्हें आसानी से संतोषपूर्वक मिल सकेगा कि अमुक कार्य को सरकार पूरा कर चुकी है, अमुक कार्य के लिए सरकार की ओर से अमुक प्रयत्न किये जा रहे हैं या अमुक कारणों से यह बात नहीं हो सकती । इससे हमारे माननीय सदस्यों को काफी संतोष होगा और हमारे सदन का काफी समय बच जायगा ।

इसके अलावा Roads और बंध आदि के बारे में मांगे रखी गई हैं कि अमुक अमुक जगह सड़कें और बंध बनने चाहिए । माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि सरकार इस संबन्ध में Statistics Collect कर चुकी है और जैसा कि पहले ही मैं अर्ज कर चुका हूं, इन सब बातों को एक दम कार्यान्वित कर देना, जैसी कि इस प्रान्त की स्थिति है उसको देखते हुए, संभव नहीं है । जो छोटे २ बंध हैं उनको लेने का (बनाने का) हमने प्रयास किया है । एक माननीय सदस्य ने हरसोर के बंध का जिक्र किया था । उनकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं कि पंच-वर्षीय योजना में वह शामिल है और इसी तरह बहुत से बंध इस पंच-वर्षीय योजना में पूरे किये जायंगे । अतः माननीय अध्यक्ष, मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की बातों को सदन में रखने के बजाय इनकी जानकारी संबन्धित अधिकारियों से या सचिवालय से हासिल कर लें तो उनको संतोष होगा । इसी तरह बहुतसी सड़कों के बनाने का काम भी पंच-वर्षीय योजना में सम्मिलित है ।

माननीय अध्यक्ष मैं आपके जरिये माननीय सदस्यों से यह भी निवेदन करूंगा कि वे जिस Constituency से आये हैं उसी की बातों को मद्देनजर रख ते हुए इस सदन में हर बात को Constituency Basis पर नहीं रख कर प्रान्त की जो जन-हितकारी योजनाएं हैं उनको पूरा कराने के लिए जोर दें; इससे हमारे प्रान्त का भला होगा ।

District Boards के लिए भी कई सदस्यों ने कहा है कि अमुक अमुक जगह बोर्ड ठीक काम नहीं करते हैं । इस सम्बन्ध में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने Local Self Government को डेवेलप करने के लिए, जो कि बहुत गिरी हुई हालत में है, कई जगह फोर्मर गवर्नमेन्ट्स में कानून नहीं थे उनके लिए Municipality Act. बनाया गया है, जो सारे राजस्थान में लागू है । इसके बाद Unified Rajasthan Panchayat Law बनाया गया । वह मसला सदन के सामने है । कहीं पर किसी तरह के Provisions थे, उनको Unity करके Unified Law बनाया गया है । इन सब बातों को ठीक स्तर पर लाने के लिए सरकार ने कोशिश की है । वह सारा मामला सदन के सामने आने वाला है; जिसे आप पारा करेंगे ।

अभी जो पंचायतें चुनी जा चुकी हैं उनके चुनाव इस नये कानून के नीचे फिर से किये जायं; यह बात सरकार को ठीक नहीं जची । हां, इनकी मयाद खत्म होते ही नये चुनाव कराये जायंगे ।

Local Self Bodies के बारे में जो Critcicism किये गये हैं उनके लि मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि Local Self Bodies के सामने कई difficulties हैं, राजस्थान सरकार की ही तरह, Local Self Bodies के सामने भी खर्चे की ओर Funds की बड़ी difficulties हैं । इनको (Local Self Bodies को) डेवेलप करने, आत्म-निर्भर बनाने और खर्चे को रेग्युलेटेड ढंग पर लाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रयत्नशील है । सदस्य गण जो भिन्न २ Constituencies से आये हैं उनसे मैं निवेदन करूंगा कि वे यदि अपनी २ Constituencies

में अच्छे २ आदमियों को बोर्डों में लेकर बोर्डों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें तो सब के सहयोग और सद्‌भावना से ये लोकल सेल्फ बोडीज भी तरक्की कर सकेंगी।

इसी तरह माननीय अध्यक्ष, मैं थोड़े समय में अन्य बातों पर भी रोशनी डालूंगा।

फेमिन रिलीफ के बारे में सदन में सदस्यों ने मांगे की हैं। सरकार इसके लिए सतर्क है और विचार कर रही है और उसे शीघ्र कार्यान्वित किया जावेगा। एक आगजनी के केस का जिक्र किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि मंत्री महोदय को टेलीफोन से कहा गया; मगर फिर भी कुछ नहीं हुआ। मैं आपके जरिये यह वह बताना चाहता हूं कि टेलीफोन से यह मामले तय नहीं किये जाते। आगजनी से होने वाले नुकसान पर मदद पहुंचाने के रूल्स होते हैं और जो कोम्पीटेन्ट ओथोरिटी हो उसके पास जाना चाहिये था; टेलीफोन से कहना ठीक नहीं है। टेलीफोन से कहने के बाद मुमकिन है मंत्री महोदय के पास ज्यादा काम होने से वे भूल जाएं या वे उसको डाइरेक्ट डील नहीं कर सकते। इसलिये इस तरह सदन में यह कहना और बताना कि मंत्री महोदय या चीफ मिनिस्टर को फलाँ बात बता दी गई और फिर भी उसकी जांच नहीं हुई; यह वाजिब नहीं है। जैसा मैंने कहा कि बहुत से सदस्यों को चाहिये कि वे संबन्धित अधिकारियों से जो जिन जिन महकमों से ताल्लुक रखते हैं मिल कर अपनी बातें तय कर लें इससे उनको बड़ी आसानी रहेगी और सारी बातों का निर्णय भी हो जावेगा।

मैं, अध्यक्ष महोदय, यह कह रहा था कि बहुत से सदस्यों को अपना दृष्टिकोण बदलना पड़ेगा और उनको एक दृष्टिकोण बना कर सोचना पड़गा और उनको ध्यान देना पड़ेगा कि हम इस समय कितनी कठिन परिस्थितियों में से गुजर रहे हैं। हमारे प्रान्त की आर्थिक हालत बहुत ही खराब है। पिछले समय वगैर उधार रकम लिये हमारा काम भी चलना एक तरह से मुश्किल हो गया था। ऐसी परस्थितियों में जो छोटी मोटी गलतियें रह जाती हैं, उनपर इतना ध्यान नहीं देना चाहिये। छोटी छोटी डिफिकल्टीज हैं उनको भयंकर रूप न देकर उनको एग्जाजरेट न कर तो ज्यादा अच्छा है; क्योंकि ऐसा करने से आपस म बिटरनेस और हेट्रेडनेस बढ़ती है। यदि इन सारी बातों को ठीक ढंग से बताने की कोशिश करें तो सदन का समय भी बचेगा और सरकार भी, सही बातों के मालूम होने पर, उन कमियों को पूरी करने के लिये पूरी पूरी तरह से प्रयत्नशील रहेगी। मैं हाउस का ज्यादा समय न लेकर अब यह कहूंगा कि इस बारे में काफी बहस सदन के सामने हुई है और मैं यह प्रार्थना करूंगा कि एप्रोप्रियेशन बिल, को जिसके पास करने के संबन्ध में एम्स एन्ड ओबजेक्टस पर बहुत बहस हो चुकी है उसे ध्यान में रखते हुए, सर्व सम्मति से पास करेंगे।

श्री रघुराजसिंह:--Mr, Speaker. Sir. The Hon'ble Minister has not enlightened us on the policy of the Government with regard to revenue administration while referring to Yesterday's debate and regarding giving of remissions. I would request the Hon'ble Minister to throw some light on this matter.

(श्री उपाध्यक्ष पदासीन)

श्री नाथूराम मिर्धा:—लगान की माफी के सिलसिले में अलग अलग टीनेन्सी एक्टों में प्रोविजन्स हैं और जिन एरियाज में जितना नुक्सान होता है उसकी डिटेल्स हमारे यहां के रेवन्यू ओफिसर कलेक्ट करके, जितना वे मुनासिब समझते हैं सरकार के पास रिकमेन्ड कर देते हैं और उस हिसाब से सरकार उनकी सिफारिशों को मंजूर कर लेती है । सरकार ने पिछले साल जहां जहां पर नुक्सान हुआ, सहायता दी है । इस साल भी जहां पर ऐसा इलाका होगा जहां फसल बरबाद हो गई हो; चाहे वर्षा की कमी से या टिड्डी के कारण, उसकी जानकारी रेवन्यू ओफिसर हासिल कर रहे हैं और वहां पर छूट दी जावेगी । यह सरकार की स्थिति साफ है । यह छूट कानून के माफिक ही दी जाती है ।

श्री रघुराजसिंह:—On a point of explanation, Sir. I would like to know the definition of "revenue officers". Does it include Patwaris and Kanugos?

श्री नाथूराम मिर्धा:—No.

श्री उपाध्यक्ष:—अब इस बिल को क्लॉज बाई क्लॉज लिया जायगा ।

श्री एच. के. व्यास:—पास करने के लिये है या मूव हो गया है ?

श्री उपाध्यक्ष:—यह पहले कंसीडरेशन के लिये लिया गया था । अब इसको क्लॉज बाई क्लॉज लिया जाएगा और इसके बाद पास करने की आखरी स्टेज आवेगी ।

(विराम)

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ । अब प्रश्न यह है कि इस विधेयक का खण्ड २ विधेयक का अंग स्वीकार किया जाये ।

(स्वीकृत)

खण्ड २ विधेयक का अंग स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक का खण्ड ३ बिल का अंग स्वीकार किया जाए ।

(स्वीकृत)

खण्ड ३ विधेयक का अंग स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इस विधेयक का खण्ड ४ विधेयक का अंग स्वीकार किया जाये।

(स्वीकृत)

खण्ड ४ विधेयक का अंग स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि इसका खण्ड १ विधेयक का अंग स्वीकार किया जाए।

(स्वीकृत)

खण्ड १ बिल का अंग स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रस्ताव यह है कि इसके शिडयूल, पर, जिसकी रकम आखीर में ३६,४८,०००) रु० है, तशरीह के साथ विचार किया जाय।

प्रश्न यह है कि यह जो शिडयूल है उसको बिल का अंग स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

शिडयल बिल में अंग रूप से स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि शीर्षक तथा इनेक्टिग फोर्म्युला को बिल के अंग रूप से स्वीकार किय जायं।

(स्वीकृत)

शीर्षक तथा इनेक्टिग फोर्म्युला बिल में अंग रूप से स्वीकार किये गए।

(विराम)

Next Shri Mirdha.

श्री नाथूराम मिर्धा: अध्यक्ष महोदय, मैं यह मोशन मूव करता हूं कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री एच. के. व्यासः—रूल नं० १४७ के मातहत जब बिल के पास करने के लिये मोशन मूव होता है तो उस पर भी डिबेट की गुंजाइश होती है । बिल के पक्ष और विपक्ष में बोलने के सिलसिले में मैं आपकी आज्ञा चाहता हूं । मैं इस प्रस्ताव के विरोध में कुछ कहना चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्षः—सिर्फ ५ मिनिट के लिए ।

श्री एच. के. व्यासः—माननीय अध्यक्ष, इस सिलसिले में वादविवाद के समय प्रारम्भ में मुमकिन नहीं था ....

श्री उपाध्यक्षः—आप अपनी जो बात है; व कहें । इस बिल पर बहुत वाद, विवाद हो चुका है । यह एप्रोप्रियेशन बिल है । इस पर बहुत वादविवाद नहीं होता । इसलिए इन ५ मिनटों में आपको जो बोलना हो वह बोल लीजिये ।

श्री एच. के. व्यासः—अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस बिल का विरोध कर रहा हूं कि आज ३ दिन से जो सवाल उठाये गये हैं, हमारे सामने आये हैं, उनका जो जवाब दिया गया है, चाहे वह अर्थ मंत्रीजी द्वारा दिया गया हो या मौजूदा मौके का फायदा उठाकर माननीय मुख्य मंत्रीजी द्वारा दिया गया हो, दोनों के जवाबों को मैं सरकार की नीति और गलत नीति की मिसाल मानता हूं और ऐसी मिसाल मानता हूं जिसके आधार पर इस बिल की मंजूरी के पक्ष में मैं अपनी राय नहीं दे सकता हूं ।

इसकी शरुआत तो मुख्य मंत्रीजी ने की और उनके मार्ग-दर्शन को मानकर हमारे श्रम मंत्रीजी ने किशनगढ़ के सिलसिले में जो जवाब दिया उसमें उन्होंने अभी अभी कहा था कि कोई विशेष हालत नहीं है । उन्होंने बार बार जिक्र किया है, उन संस्थाओं का, उन पार्टियों का, उन तत्वों का जो कि जान बूझ कर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं । मैं जानता हूं कि उनका इशारा मेरी और मेरी पार्टी की तरफ था । लेकिन वे भूल गये कि सदन के सामने जो परसों मजदूर बैठे हुए थे वे मेरी पार्टी का झंडा लेकर नहीं आये थे । वे आपकी पार्टी का झंडा लेकर आये थे । वे आपसे असंतुष्ट थे, वे आपके विरोध मे आवाजें उठा रहे थे और आपकी ज्यादतियों को रोकने के लिए कह रहे थे क्या आप मेरी पार्टी का नाम लेकर सवाल को टालने की कोशिश नहीं करते हैं ? आज किशनगढ़ मिल में तालाबन्दी है । वहां के मजदूर बेकार हैं ? हकीकत यह है कि सरकार को कानूनी कार्यवाही का हक होते हुए भी आज तक उसने कोई कार्यवाई नहीं की है । मैंने साफ तौर से यह सवाल किया था कि क्या कानूनी तरीके से वहां के मिल मालिक के खिलाफ कार्यवाही नहीं की जा सकती ? लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसका कोई जवाब नहीं दिया ।

इसी प्रकार से जब हम ग्रान्ट्स के बारे में बहस कर रहे थे तब एक महत्वपूर्ण सवाल पर मने एडजोर्नमेन्ट मोशन रखा था और उम्मीद की थी कि जब मुख्य मंत्रीजी सारी की सारी डिबेट का समारोप करेंगे; तब उसका भी

उत्तर देंगे । लेकिन मुझे अफसोस है कि उस सवाल का न सिर्फ जिक्र ही किया गया बल्कि उत्तर देने की बात तो बहुत आगे की गिनी जा सकती है । वह प्रश्न ताल्लुक रखता है सरकारी मुलाजिमों के साथ जो व्यवहार हुआ है, उससे। मैंने यहां परसों के दिन कट मोशन पेश किया था तब जिक्र किया था, इस बात का कि गवर्नमेन्ट द्वारा जो राजस्थान सेक्रेटेरियेट के मुलाजिमों के बारे में फैसला किया गया है और जिस फैसले के खिलाफ असंतोष होने की वजह से उन मुलाजिमों ने उसको बदल ने की मांग की उस मांग को नामन्जूर किया गया है; जिसकी वजह से आज काफी असंतोष फैल रहा है; उन मुलाजिमों के अन्दर। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अभी जिक्र किया है कि कोई विशेष असंतोष नहीं फैल रहा है । उन्होंने कहा है कि राजस्थान ही नहीं बल्कि हर किसी राज्य में जो सर्विसेज हैं उनको राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। राजनैतिक आधार पर उस सिलसिले में बात नहीं की जानी चाहिए । अफसोस है कि वे यहां नहीं हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि इस बातचीत की आवश्यकता किसी राजनीति की वजह से नहीं हुई है । इसका सबूत इस बात से है कि राजस्थान सेक्रेटेरियेट के कर्मचारी आज अपनी छाती के ऊपर बिल्ला लगाये जा रहे हैं कि वे पीड़ित हैं, वे उनके अन्याय से पीड़ित हैं । बिल्ला लगाये हुए वे सूचना दे रहे हैं, इस बात की कि उनमें असंतोष मौजूद है, वे सूचना दे रहे हैं इस बात की कि न सिर्फ उनके साथ ज्यादतियां हो रही हैं, बल्कि उन ज्यादतियों की सुनवाई तक नहीं हो रही है। अगर ऐसी परिस्थिति है तो फिर क्या कारण है कि आप इस गंभीर प्रश्न पर विचार करने के लिए तैयार नहीं हैं।

मेरा यह कहना है कि इन्टिग्रेशन के नाम पर ऐसा सब कुछ होता है, ऐसा कहकर उसको टाल दिया गया है। मगर इन्टिग्रेशन करना था तो उनका इन्टिग्रेशन ठीक ढंग से किया होता; उनके सबस्टेन्टिव एपाइन्टमेन्ट्स को डिस्टर्ब आप नहीं कर सकते । आज तक कहीं भी ऐसा इन्टिग्रेशन नहीं हुआ जिसके अन्दर जहां कोई नया सिलेक्शन हुआ हो या नये लोग आ रहे हों, उनके लिये सिलेक्शन बोर्ड बना हो । वे नये लोग नहीं थे। सालों से वे अपनी कवेनेंटिग स्टेट्स में काम कर रहे थे, उनकी सर्विसेज आज की नहीं हैं । बहुत सारे लोग उनमें से ऐसे हैं जिन्होंने कई सालों तक वह कार्य किया है और आज अचानक इन्टिग्रेशन के नाम पर उनको हटाया जा रहा है। अगर आपको आदमी कम करने थे तो वह अलग बात थी। इन्टिग्रेशन के नाम पर नया सिलेक्शन नहीं किया जा सकता। उन लोगों की २०-२५ साल की सर्विसेज का एक टेस्ट के अन्दर या उस टेस्ट के आधार पर फैसला नहीं किया जा सकता। वह फैसला दूसरी रियासतों में जिस तरह से हुआ है उसी तरीके से किया जाना चाहिये ।

(श्री अध्यक्ष पदासीन)

मैंने उस दिन मिसालें बताई थीं । आज भी मेरे सामने कई मिसालें हैं मैं सिर्फ एक महत्वपूर्ण मिसाल सदन के सामने रखूंगा जिससे पता चल जाय कि सारी स्कीम जो है वह मेलाफाइड (Mala fide) स्कीम है। मैंने उस पत्रिका को पढ़ा है जो मुलाजिमों की ओर से पेश की गई है। उस पत्रिका में सिलेक्शन के लिए तारीखें

मुकर्रर की गई थीं। असिसटेन्ट सेक्रेटरीज का किस्सा है। पहले एक तारीख मुकर्रर की गई थी और उसके बाद में उसको बदल कर दूसरी तारीख (२० तारीख) मुकर्रर की गई। इसके मायने यह थे की जो २० तारीख तक के हैं उनको एलिजिबल माना जायगा। इससे साफ दिखाई देता है कि यह २० तारीख कहां से आगई? अगर कोई तारीख मुकर्रर की जाती तो १ तारीख, १५ तारीख या ३१ तारीख मुकर्रर की जाती; किन्तु यह बीच में २० तारीख कहां से आगई? वह इसलिए कि १७ तारीख को एक विशेष व्यक्ति यहां आए थे; उनके हित के लिये यह कार्यवाही की गई है। ऐसा उन्होंने इल्जाम लगाया है। ऐसी गंभीर बातों को राजनैतिक पार्टियों द्वारा खड़ा किया गया; यह कहकर टालने की कोशिश की जाती ह। मैं साफ बताना चाहता हूं कि इसमें कोई राजनीति नहीं है। मुझे सिर्फ उनसे हमदर्दी है और ऐसी २ मिसालें हमारे सामने आती हैं, जिनसे उनकी नियत के बारे में शक हुआ और यह मांग करें कि सरकार द्वारा जांच की जाय, पता लगाया जाय, उस पर फिर विचार किया जाय, तो इसमें कौनसी राजनीति है, कौनसा इस बारे में गड़बड़ गोटाले का प्रश्न उठाया है? इसलिए माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि इस बिल को पास नहीं किया जाय।

श्री अध्यक्ष:—The Hon'ble Members should note that they will not repeat those very arguments and inflict those very arguments upon the House.

(विराम)

(श्री नाथूराम मिर्धा, अर्थ मंत्री, को संकेत करते हुए) You have to reply to this or you do not think any necessity of replying.

श्री नाथूराम मिर्धा: —(मौन)

श्री अध्यक्ष:—So the Question is "that the Rajasthan Appropriation Bill (No. 5) be passed."

(स्वीकृत)

The Bill is passed.

राजस्थान लघु-सिंचाई निर्माण विधेयक, १९५२

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में लघु सिंचाई निर्माण की रचना, सुधार तथा संधारण (बनाये रखने) की व्यवस्था करने वाला विधेयक, जैसा कि प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित हुआ है, विचारार्थ लिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, इस बारे में राजा मानसिंहजी का मिनिट ओफ डिसेन्ट (Minute of Dissent) आया है। वे आज यहां

पर उपस्थित नहीं है । सिलेक्ट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसमें उन्होंने अपने अलग सजेशन्स दिये हैं; जो अलग लिखे हुए हैं । वे इस वक्त उपस्थित नहीं हैं; किन्तु मुझसे कह गये थे कि उनकी जगह में उनके विचार हाउस के समक्ष रखूं । राजा मानसिंह ने जो मिनिट ओफ डिसेन्ट रखा है उस पर बिल के पास करने से पहले विचार किया जाना आवश्यक है ।

श्री अध्यक्ष:—If you have to say anything over the principles of the Bill, you can say about them at this stage. If an Hon'ble Member of the Select Committee differed on certain points, it will come at the consideration stage and any Member of the House can move it by way of amendments.

But before proceeding further, if any Member wants to discuss over the principles of the Bill, he can discuss; otherwise we can proceed with the further amendments that I have got regarding this.

श्री एच. के. व्यास:—I want to say something.

श्री अध्यक्ष:—Do you want to say something on the principles of the Bill ? You have moved an amendment and that will come............

श्री एच. के. व्यास:—माननीय अध्यक्ष....

श्री अध्यक्ष:—You want to discuss the principles as well as move the amendment ?

श्री एच. के. व्यास:—I have to move the amendment also.

श्री अध्यक्ष:—The motion is clear. Perhaps we should proceed farther. The motion is by Mr. H. K. Vyas that the Bill be re-committed to the same select committee.

श्री एच० के० व्यास:—माननीय अध्यक्ष, मैंने यह प्रस्ताव सदन के सामने रखा है कि यह बिल फिर से सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय । उसके कारण मैं सदन के सामने रखता हूं ।

इस बिल पर जो सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट हमारे सामने आई है वह रिपोर्ट में पहला कारण है जो प्राइमाफेसी इस बात में दिखाई देता है कि उतनी गंभीरता से, छानबीन के साथ, इस पर गौर नहीं किया गया । रिपोर्ट के दो पेरेग्राफ हमारे सामने उपलब्ध हैं । मिनिट ओफ डिसेन्ट इस रिपोर्ट के अन्दर डिस्कस नहीं किया गया । मैं नहीं जानता कि सिलेक्ट कमेटी, मिनिट ओफ डिसेन्ट अपनी रिपोर्ट में डिस्कस करने को क्यों तैयार नहीं हुई ? मेरी यह धारणा है कि अगर सिलेक्ट कमेटी ने अपने एक मेम्बर के मिनिट ओफ डिसेन्ट को अपनी रिपोर्ट में डिसकस नहीं किया तो यह एक प्राइमाफेसी केस है; इस पर गौर करने की आवश्यकता है ।

दूसरा कारण यह है कि कुछ मुद्दे इसमें ऐसे हैं जिन मुद्दों को मैं गलत समझता हूं । इसलिये यह आवश्यक है कि फिर से इस पर सिलेक्ट कमेटी विचार करे । "ओनर" की जो परिभाषा बिल के ५ पेज पर क्लॉज २ (३) में की गई है उस परिभाषा में यह कहा गया है कि:–

"Owner' includes a mortgagor or mortgagee in possession but does not include a mortgagor or mortgagee out of possession or a lessee for a term of years nor, where a superior and an inferior right of ownership co-exist, the owner of the superior right".

तो एक ऐसी चीज प्रतिपादित की गई है कि परिभाषा के मुताबिक, यदि सुपीरियर ऑनर्स राइट और इन्फीरियर ओनर्स राइट एग्जिस्ट करे तो इस परिभाषा के मुताबिक सुपीरियर राइट वाला ओनर नहीं कहलायेगा । मेरा खयाल है और कानूनी उसूल यह है कि यदि दो हक एक साथ चलते हैं तो आखिर में किस को माना जाय । इसी प्रकार ओनरशिप के बड़े और छोटे इस प्रकार दो हक एक साथ चलते हैं तो यह दुनियां का माना हुआ सिद्धान्त है कि पहले बड़े का हक गिना जाता है । ओनर की परिभाषा में यह रखा गया है कि बड़े का हक ओनर में नहीं गिना जायगा । इस वजह से मैं समझता हूं कि इसको फिर से जांचने के लिए सिलेक्ट कमेटी को सुपुर्द किया जाना चाहिये ।

दूसरा कारण जैसा कि अभी परसों सदन ने फोरेस्ट बिल पास किया उस बिल का सिलेक्ट कमेटी ने बहुत अच्छा बुनियादी सिद्धान्त हमारे सामने रखा; पब्लिकेशन के बारे में । उन्होंने इस प्रकार की तरमीम की है कि देहाती गांवों के लोग भी इसको अच्छी तरह समझ सकें । पब्लिकेशन के लिये लिखा गया था कि क्योंकि उस बिल का खास तौर से देहात से ताल्लुक था साफ साफ हिन्दी भाषा में और डूंडी पिटवा कर पब्लिश किया जावेगा । इसी प्रकार यह पोलिसी इस बिल में नहीं बरती गई है । इस प्रश्न पर भी सिलेक्ट कमेटी गौर करे । उसका ताल्लुक भी गांव के लोगों से है । यहां बिल का पब्लिकेशन भी हो जाय और गांववालों को पता भी न लगे; इसलिये यह होना आवश्यक है । जिस आधार पर फोरेस्ट बिल की सिलेक्ट कमेटी ने परिभाषाएं साफ साफ कर दी हैं इसी प्रकार इस बिल की परिभाषाएं भी साफ क्यों न की जायं; यह दूसरा कारण है ।

तीसरा कारण एक सिद्धान्त से ताल्लुक रखता है; जैसा कि क्लाज ६ में दिया गया है। उसमें यह कहा गया है कि अगर जमीन के मालिक को नोटिस दे दिया गया हो तो पब्लिकेशन कर दिया गया । किसी ने ऐतराज किया हो तो फिर या तो जब उन्हें मन्जूरी दे दी जाती है तो वह मन्जूरी गिनी जायगी। अगर ऐतराज नहीं किया गया तो वह "deemed to consent" मानी जायगी कि स्वीकृति दे दी गई है । मैं बिल के इस हिस्से को खतरनाक हिस्सा समझता हूं । जहां तक कानून का सवाल है, जिस मनुष्य के खिलाफ इसका

इस्तेमाल होता है या जिसका हक छीना जायगा उसको तो कम से कम मालूम होना चाहिये । इस धारा के अनुसार चाहें सम्बन्धित आदमी को मालूम हो; या न हो, चाहे यह बात उसके ध्यान में हो या न हो; वह पब्लिश्ड माना जाएगा । महज इसलिये कि नोटिस शाया कर दिया गया, नोटिस पब्लिश कर दिया, गया इसलिये उसके इतने बड़े हक को छीन लिया मान लिया जायगा; यह एक अन्याय की बात है ।

मेरा ख्याल है कि इतने बड़े और इतने गंभीर कानूनी सिद्धान्त को अचानक किसी बिल में इन्ट्रोड्यूस कर लें तो इसका परिणाम बहुत ही बड़ा होगा और हम चाहते हैं कि उन परिणामों को देखते हुए हम इसमें तब्दीली कर दें ।

(घंटी बजाई गई)

चूंकि मेरे पास समय कम है इसलिये में दो ही पोइन्ट्स पर और कहना चाहूंगा । एक तो यह है कि पार्ट तीन में अथवा पार्ट पांच में जो अधिकार लिये गये हैं, समेरी एरेस्ट करने के जो अधिकार लिये गये हैं, वे ठीक नहीं है । यदि इस प्रकार के अधिकार लिये गये तो जो काम करना चाहिए वह भी नहीं किया जा सकेगा । सिलेक्ट कमेटी को इस पर विचार करना चाहिए ।

अन्त में एक पोइन्ट और बताना चाहता हूं जो बहुत गंभीर है और वह यह है कि क्लाज नं० २६ में सरकार ने बहुत ही गुन्जाइश की चीज मंजूर करने का रुख अख्तियार किया है । सरकारी पैसे को कलेक्ट करने का ठेका दे दिया गया है तथा ठेकों के लिए ठेकेदार नियुक्त कर दिये गये हैं । सरकार अपना पैसा ठेके के रूप में उन ठेकेदारों से वसूल कर लेगी । ठेकेदार मामूली लोगों से मुकद्दमे दायर कर अथवा उन्हें किसी प्रकार तंग कर उनसे वह वसूल करेंगे । एक ओर तो हम सूदखोरों से परेशान लोगों को राहत देने की बातें करते हैं और किसानों को उनके चंगुल से बचाने की बातें करते हैं और दूसरी ओर नये बनाये गये कायदों में सरकारी पैसे को वसूल करने के लिए ठेकेदारों को नियुक्त करते हैं । इससे न सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ेगा किन्तु दिन दहाड़े रिश्वतखोरी बढ़ेगी । सरकार का तो पैसा उन ठेकेदारों से वसूल हो जायगा किन्तु वे ठेकेदार वसूल करेंगे किसानों का खून चूस-चूस कर और वे उन्हें कहेंगे कि यह तो सरकार का पैसा है, उन्हें देना चाहिए । यही एक कारण है कि यह सवाल वापिस सिलेक्ट कमेटी के सामने जाय । यही मुझे सदन के सामने पेश करना है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:--अध्यक्ष महोदय, यह बिल यू.पी. के माइनर ईरिगेशन वर्क्स के अन्तर्गत, जो वहां कानून बने हुए हैं, उसी के आधार पर राजस्थान में लागू करने के लिए बनाया गया है और सिलेक्ट कमेटी ने इसके हर पहलू पर विचार किया है और जो नोट ओफ डिसेन्ट इसमें आया है, उसमें सिलेक्ट कमेटी के एक सदस्य की राय के अतिरिक्त उसी शक्ल में आया है । अभी माननीय एच. के. व्यास ने जिन सवालों को उठाया है यदि वे बिल की सारी धाराओं को देखें तो इससे स्पष्ट होगा कि गावों-गांवों में सूचनाएं देने की बात है, नोटिस

लगाने की बातें हैं। इसमें इनका विवरण दिया हुआ है और यह कहना कि बिना सूचना दिये ही सारी कार्यवाही कर दी जायगी, ऐसी बात है जो मानने लायक नहीं है।

जहां तक वसूली करने का सवाल आता है ठेकेदार को ही छूट दे दी जायगी; यह बात तथ्यपूर्ण न होकर जिस प्रकार जमीन का लगान दूसरे वसूल करते हैं उसी प्रकार यह उनके द्वारा ही वसूल हो सकती है। इसमें तो इस प्रकार की भावना है। यह कहना कि ठेकेदारों के द्वारा एकत्रित किया जायगा; गलत है और इसमें यह भावना नहीं है।

सुपीरियर राइट्स के बारे में जो बात कही गई है उसके सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि सुपीरियर राइट्स गवर्नमेन्ट में वेस्ट करते हैं। अन्त में मैं समझता हूं कि जिस चीज को काफी विस्तार के साथ देखा जा चुका है, जो सिलेक्ट कमेटी के द्वारा पास किया जा चुका है और यदि फिर भी उसमें कोई तरमीम या अमेन्डमेन्ट करने की गुन्जाइश समझी जाय तो अमेन्डमेन्ट के रूप में वह चीज पेश की जानी चाहिए थी। सिलेक्ट कमेटी के द्वारा जो भेजा जाता है और जो सिलेक्ट कमेटी द्वारा रेफर कर दिया जाता है उसमें अब कोई तरमीम पेश करने का मतलब यह होगा कि समय व्यर्थ जायगा। इसको फिर से सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना अब उचित नहीं होगा।

श्री अध्यक्षः-I now put the amendment. The Question is that the Minor Irrigation Works Bill, 1952, be recommitted to the same Select Committee.

(अस्वीकृत)

The Question is that the Rajasthan Minor Irrigation Works Bill, 1952, be taken into consideration.

(स्वीकृत)

The Motion is adopted.

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-माननीय अध्यक्ष, क्योंकि इस बिल पर अब कोई अमेन्डमेन्ट नहीं हैं; अतः बिजनेस रूल्स के नियम १४६ के अनुसार मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस बिल को पास किया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यासः-अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्तावक महोदय से यह निवेदन करना चाहता हूं कि यदि वे इस विधेयक को कल ले लें तो जो मुद्दे मैंने उठाये हैं उन्हें मैं अमेन्डमेन्ट के रूप में पेश कर दूं।

श्री मोहनलाल सुखाड़ियाः-बिल कभी का हमारे पास आ चुका है। यदि कोई अमेन्डमेन्ट्स थे तो पहले ही आ सकते थे। माननीय सदस्य ने जो बात रखी है उसे मैं स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री अध्यक्षः–Motion moved. The Question is that the Rajasthan Minor Irrigation Works Bill, 1952, as reported by the Select Committee, be passed........

(विराम)

But what do you say about the Note of Dissent.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:–मैं पहले ही यह निवेदन कर चुका हूं कि नोट ओफ डिसेन्ट को पहले ही ले लिया गया था ।

श्री जसवन्तसिंह:–अध्यक्ष महोदय, नोट ओफ डिसेन्ट इस सदन में नहीं लिया गया है । यह सिलेक्ट कमेटी में जरूर ले लिया होगा । यदि नोट ओफ डिसेन्ट सदन में रखा गया है तो सदन का कर्तव्य बन जाता है कि वह इस पर बहस करे ।

श्री अध्यक्षः—As a matter of fact the submission of the report by a Select Committee indirectly overrules the Minute of Dissent. But when the whole report of the Select Committee is put before the House for discussion or for vote and the House passes it as reported upon by the Select Committee it becomes an Act and there is no further question. If you all like, I can proceed clause by clause and we can consider the Note of Dissent........ ..

(एक सदस्य द्वारा बाधा)

No. No. The minute of dissent does not affect the principles of the Bill and the Hon'ble Member has put in this amendment, like substituting 'sustaining' for 'substaining' and all that, and they do not come substantially in the way of passing the Bill. If the Hon'ble Members like, I can proceed clause by clause, but that will take more time.

श्री जसवन्तसिंहः—हमें इस पर कुछ आपत्ति............

श्री अध्यक्षः—All right. If the speakers have objection, I proceed clause by clause.

(विराम)

Motion moved. The Question is that clause 2 of the Bill stand part of the Bill.

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, इस विधेयक के खण्ड २ के सम्बन्ध में राजा मानसिंहजी ने कन्स्ट्रक्शन की डेफिनिशन्स के बारे में यह निवेदन किया है कि:–

"In sub-section (1) of this section, 'Construction' includes improvement within a limited time and in a specific manner.

What sense the words 'within a limited time and in a specific manner' carry is not made clear in the Act. It is, therefore, suggested that the words "of the type as prescribed in the Rules made under section 50 of this Act" be substituted after the word "improvement" for "within a limited time and in a specific manner".

श्री अध्यक्ष: — You will have to move the amendments as your own. You will not make a proxy in this House.

श्री गोपीलाल यादव:—Not on his behalf, Sir ?

श्री अध्यक्ष: -You have a right to move it yourself.

श्री गोपीलाल यादव:-तो इसमें दो शब्द हैं, "विदिन ए लिमिटेड टाइम एण्ड इन ए स्पेसिफिक मेनर" इसमें स्पेसिफिक मेनर कौनसा है और स्लिमिटेड टाइम क्या है; इन दोनों को साफ करना जरूरी है । सेक्शन ५० के अन्तर्गत जो रूल्स बनाये जावें तब बजाय उनको इस तरह लिखने के राजा मानसिंहजी ने जैसा बताया है उस तरह से लिखा जावे तो ज्यादा ठीक रहेगा ।

दूसरी चीज है "माइनर इरिगेशन वर्क" अथवा "वर्क" की डेफिनेशन के बारे में । उसमें एक प्रोविजो दिया गया है ?

"Provided that the cost of such construction or in the case of maintenance the value of such work or works does not exceed Rs. 15,000."

यह चीज भी रूल्स में आ जाती है; इसलिये इसमें प्रोविजो रखने की आवश्यकता नहीं है। १५०००) रु० की रकम छोटी सी रकम है । पहले प्रोविजो नहीं था; इसलिये ख्वामख्वाह प्रोविजो क्यों जोड़ा जाय ?

श्री जसवन्तसिंह:-जहां तक सेक्शन २ का सवाल है मैं मेरे मित्र यादवजी के साथ सहमत हूं । इस सेक्शन को साफ करने के लिये इसमें तरमीम होना जरूरी है । मैं नहीं समझता कि इसमें गवर्नमेन्ट को क्या आपत्ति हो सकती है ।

As regards proviso to section 2 (2) I do not agree with Mr. Yadav.

श्री अध्यक्ष::—You do not agree to para (2) of the Minute of Dissent and para (1).. ?

श्री जसवन्तसिंह: -With regard to para (1) I agree with him. The reason is cogent.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:-माननीय अध्यक्ष, माननीय यादवजी ने जो दो बातें रखी हैं उनमें से दूसरी बात के लिये दूसरे माननीय सदस्यों ने भी

स्पष्ट कहा है कि १५०००) रु० का प्रोविजो रहना चाहिये । यह काफी सोच विचार के बाद, दो दिनों की बहस के बाद रखा गया है । पहले पोइन्ट के बारे में म समझता हूं, यहां स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है । जब रूल्स बनेंगे तो साफ कर दिया जायगा ।

श्री अध्यक्ष:–Now the Question is that clause 2 of the Bill which reads as under be added to the Bill, "Definitions:—In this Act ....

श्री जसवन्तसिंह:–मैं यह सजेस्ट करना चाहता हूं कि हर सेक्शन को पढ़ने के बजाय केवल सेक्शन का नम्बर ही बता दिया जाय । जिस किसी को बोलना होगा बोल लेंगे । इस तरह से समय बच जायगा ।

श्री गोपीलाल यादव:–नोट ओफ डिसेन्ट में जो एमेन्डमेन्ट्स सजेस्ट किये गये हैं मैं उनको पेश नहीं करना चाहता ।

श्री अध्यक्ष:–Do the Hon'ble Member want to press this point. I think it is clear and clause 3 should form part of the Bill as it is. This is rather a corrolory to clause 2 ....

श्री गोपीलाल यादव: -This is rather an improvement suggested by Raja Man Singh.

श्री अध्यक्ष:—Do you want to press it.

श्री गोपीलाल यादव:—I do not want to press it.

श्री अध्यक्ष:—What about Kunwar Saheb.

श्री जसवन्तसिंह:—To the extent it is an improvement I shall like to keep it.

श्री अध्यक्ष:—We shall discuss it.

श्री जसवन्तसिंह:—We just wanted him to make it more convenient but if the Government thinks........

श्री अध्यक्ष:—Rules will be made.

श्री जसवन्तसिंह:—Naturally rules will have to be made, I am not pressing it.

श्री अध्यक्ष—I shall put the motion to vote. The Question is that clause 2 of the Bill stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 2 is added to the Bill.

श्री जसवन्तसिंह:-यदि ये सेक्शन एक साथ · · · ·

श्री अध्यक्ष:—That I will do. But there is an amendment to section 3.

श्री जसवन्तसिंह: - What I want to suggest is that the clauses of the Bill may be taken together, for which there are no amendments.

श्री गोपीलाल यादव:-मैं भी खण्ड १८ तक कुछ भी press नहीं करना चाहता।

श्री अध्यक्ष:-Then we may take clauses 3 to 18 one and at the same time. As such the Question is that clauses 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 3 to 18 are added to the Bill.

श्री अध्यक्ष:—Clause 19. You want to press it.

श्री गोपीलाल यादव: - Yes Sir. Section 19 reads as follows.—

"19. **Alternative modes of recoupment by Government.**—The State Government may compensate or recoup itself for any expenditure which it incurs, or agrees to incur, in the carrying out of any approved scheme of construction or maintenance or of both, in any one or more of the following methods, namely.: - . . . . .

श्री अध्यक्ष:-इस धारा में खर्चे के संबन्ध में दो बातें हैं "Which it incurs or agrees to incur" । गवर्नमेन्ट रुपया वसूल करेगी। उन चीजों के लिए, जो खर्चा वह करे या जो खर्चा करने को वह रजामन्द हो। इसमें जो "करने की रजामन्दी है" वह गलत चीज है। करने को रजामन्द हो किन्तु वसूल किया और खर्च नहीं करे तो बड़ी गलत चीज होगी। इसलिए इसमें "Which it incurs" ही रहना चाहिए तथा "Or agrees to incur" इसे हटा देना चाहिये। खर्चा तभी करेगी जब रजामन्द हो। रजामन्द होने के बाद जो खर्चा कर दिया वह कर दिया, वह वसूल करले। इसलिए "Or agrees to incur" delete कर देना चाहिए। मुझे दुख है कि select committee ने इस बारे में ध्यान क्यों नहीं दिया।

श्री जसवन्तसिंह:-I agree with him; श्री यादवजी ने जो फरमाया है वह बिल्कुल सही है। इससे टिनेन्ट्स को वास्तव में बड़ी परेशानी और तकलीफ होगी।

श्री मोहनलाल सुखाडिया –अध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि इस मामले में इतना समझ कर चलना चाहिए कि जो सरकार करेगी उससे किसी पर भार पड़ जायगा । इससे तो और भी गुंजाइश रहती है। मेरी समझ में यह तरमीम करने से इसमें जो एक ज्यादा गुंजायश है उसको कम करना होगा । इसमें incur करने को राजी है और खुद incur करती है यह भी है ।

श्री जसवन्तसिंह:–गवर्नमेन्ट का जो intention है उसमें हमें शक नहीं है; पर enthusiastic ओफीसर्स को गल्ती से बचाने के लिए यह delete कर देना चाहिए ।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, मैं मंत्री महोदय से फिर अर्ज करूंगा कि अगर गवर्नमेन्ट incur करने के लिए...

श्री अध्यक्ष:–I think the reply is after mature consideration.

श्री गोपीलाल यादव:–I think he may agree as there is "agrees to incur. So he may agree to reconsider it.................. इससे गवर्नमेन्ट को कोई नुक्सान नहीं है ।

श्री अध्यक्ष:–(श्री सुखाड़िया जी की ओर संकेत करते हुए) Do you agree ,to reconsider.

(विराम)

He does not agree. So I put the amendment before tet House. So the question that the amendment to section h. be accepted, the amendment as moved in the note of Dissenl

(विराम)

(श्री गोपीलाल जी को संकेत करते हुए) You will formally give amendment in writing.

(अस्वीकृत)

The amendment fails.

(विराम)

The Question is that clause 19 of the Bill stands part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 19 is added to the Bill.

(विराम)

Now we come to section 20. I think I may put it to vote (श्री गोपीलालजी को संबोधित करते हुए) or you will give some explanation.

श्री गोपीलाल यादव:—Clause 20 to 28 ?.

श्री अध्यक्ष:—I am sorry. That Question is "that clauses 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 and 28 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 20 to 28 are added to the Bill.

(विराम)

Now we come to clause 29.

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष, section २९ एक बिल्कुल नामुनासिब section है और इसको इस Bill में रखा जाना राजस्थान के Law makers के ऊपर एक बड़ा भारी कलंक है। यह section है "Power to Contract for collection of dues"; ड्यूज के कलेक्शन के लिए ठेका- दिया जाना। आज से कई सौ वर्ष पूर्व जमीनों के लगान की वसूली का ठेका दिया जाता था, बड़े बड़े जमीनदार ठेकेदार कहे जाते थे; लेकिन हर तरह की ठेकेदारी ना पसंद की गई, गलत समझी गई और बंद कर दी गई। जब गवर्नमेन्ट करोड़ों रुपयों का Land revenue अपने कर्मचारियों के जरिये वसूल करती है और ये dues वसूल करने के लिए अपने आपको नाकाबिल महसूस करे और ठेकेदारों को यह काम दे तो इसको कोई अन्धा आदमी भी ठीक नहीं मानता।

श्री अध्यक्ष:--You will not go back on decisions which have been taken in the House.

श्री गोपीलाल यादव:—यह वोट ओफ नो कोन्फीडेन्स का Motion नहीं है। मैं सरकारी बेंचेज पर बैठे हुए सदस्यों से अर्ज करूंगा कि वे इस पर विचार करें; न कि मंत्रीजी की हां में हां मिलाएं। ठेकेदारी बिल्कुल बंद हो जानी चाहिये; गवर्नमेन्ट अगर छोटी सी मामूली गलती करने जा रही है तो वह हमें barbarism की ओर ले जायगी। इस लिए इस Section को इस Bill से बिल्कुल delete कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास:--माननीय अध्यक्ष, क्या मुझे बोलने की इजाजत देंगे।

(श्री हरिकृष्ण व्यास को संकेत करते हुए)

श्री अध्यक्ष:—You don't feel personally all these things. The amendment is there and it is very clear.

श्री हरिकृष्ण व्यास:--यह जो बिल है इसमें यह कहा गया है कि जिस आदमी से सरकार ठेका कर लेगी उसको अधिकार होगा कि वह उन लोगों पर जिनमें एरियर्स और Land dues हों दावा करके वसूल करें। इसका एक पहलू तो मेरे मित्र गोपीलालजी ने बता दिया और दूसरा पहलू जो पेश कर रहा था उसको दोहरा दूं। यह भी मुमकिन हो सकता है कि दावा करते समय वह उनको कह दें कि अच्छा आज नहीं दे सकते, नई लिखा पढ़ी कर दो। और इस तरह १०० रु० के बजाय २००) रु० की लिखा पढ़ी होगी। सरकार की मशीनरी उसके पीछे होगी। सारी सहूलियतें उसको मिलेंगी और जैसे सूदखोरों के १००) रु० के २००) रु० होते आये हैं उसी तरह सरकार सूदखोरी को प्रोत्साहन देगी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय सदस्य ने जो यह बात सरकार के सामने रखी है उसको देखते हुए मैं इस बात से सहमत हूं कि इस section (section 29th) को इस बिल से हटा दिया जावे।

श्री अध्यक्ष:—The appeal has its desired effect.

(विराम)

So I put the question. Is leave of the House given to withdraw clause 29?

(स्वीकृत)

Clause 29 is withdrawn.

श्री अध्यक्ष:—Clause 30.

श्री गोपीलाल यादव:—माननीय अध्यक्ष Clause ३० इस प्रकार है:-

"30. *Lambardars may be required to collect dues.*—(1) In the absence of an agreement made under section 29 with any other person the Collector may require the lambardar, if any, of any local area to collect and pay any sums payable under this Act by a third party in respect of any land or water in such local area and in the event of his failing to pay any sum so required may recover it from him as an arrear of land revenue.

(2) Where a lambardar is required to pay any sum under sub-section (1) all the provisions of law for the time being applicable to the recovery by him or by the Collector on his behalf of land revenue and remuneration fees from any third party shall apply to the recovery of such sums from any third party liable for the same as if they were enacted in the Act."

क्लाज २९ के हटजाने से काफी फर्क पड़ गया है और अब वह इस प्रकार है।

"*Lambardars may be required to collect dues.*—The Collector may require the Lambardar, if any, of any local area to collect any sums recoverable under this Act from an owner or occupier in respect of any land or water in such local area, and deposit the amount so collected in the State Treasury as directed by the Collector. In the event of an owner or occupier of such land or water failing to pay any dues so required, it shall be recovered from him as an arrear of land revenue."

अगर लम्बरदार उसको रिकवर नहीं कर सकता तो उससे वसूल किया जाए; लेकिन मैं यह कहूंगा कि लम्बरदार से वसूल करने की बात नहीं है। वह तो गवर्नमेन्ट का नौकर है और गवर्नमेन्ट को लगान वसूल करने में मदद देते हैं। अगर वह वसूल नहीं कर सकता तो वह सरकार के पास रिपोर्ट करेगा और उसका माल निलाम होगा। अगर ओक्युपायर रकम न दे तो लम्बरदार कैसे देगा ? मैं यह कहूंगा कि इसमें कुछ गलती रह गई है और "हिज" प्रोनाउन का मतलब ओक्यूपायर से है न की लम्बरदार से। यह एक ग्रामेटिकल मिस्टेक है; इसके लिये साफ साफ शब्द रख दिये जावें। "ओनर ऑफ दिस लेंड" में समझता हूं कि यह बिल्कुल साफ है। सरकार का मतलब भी लम्बरदार से रकम वसूल करने का नहीं है। अगर लम्बरदार से रकम वसूल की जाती है तो कल तहसीलदार और रेवेन्यू सेक्रेट्री से भी रकम वसूल होने लगेगी।

श्री अध्यक्ष:—The point is very clear perhaps.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—जो एमेन्डमेन्ट किया गया है वह ठीक है और जो शब्द हटाने के लिये श्री यादव साहब ने कहे हैं वो हटा दिये जावें।

श्री अध्यक्ष:—So the Question is that the amendment should be accepted.

(स्वीकृत)

अब प्रश्न यह है कि एमेन्डेड क्लॉज ३० बिल का अंग बने।

(स्वीकृत)

एमेन्डेड क्लॉज बिल का अंग स्वीकार किया गया।

श्री अध्यक्ष:—अब प्रश्न यह है कि खण्ड ३१, ३२, ३३, ३४, ३५, ३६, ३७, ३८, ३९, ४०, ४१, ४२ तथा ४३ बिल के अंग बनें।

(स्वीकृत)

खंड ३१ से ४३ बिल के अंग बने ।

(विराम)

Now we come to clause 44.

श्री गोपीलाल यादव:—इसमें जो शब्द substaining है उसके स्थान में sustaining होना चाहिये ।

श्री अध्यक्ष:— That is a printing mistake.

(विराम)

So the Question is that clause 44 stand part of the Bill

(स्वीकृत)

Clause 44 is added to the Bill.

(विराम)

Now the Question is that clauses 45, 46, 47, 48 and 49 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clauses 45 to 49 are added to the Bill.

(विराम)

श्री अध्यक्ष:—Clause 50.

श्री गोपीलाल यादव:—मिनिट ओफ डिस्सेन्ट में यह है कि इस क्लाज का २ (एच) डिलीट कर दिया जाए ।

श्री अध्यक्ष:—No. No. That will not come.

श्री गोपीलाल यादव:—But the words and figure "section 29 or" shall have to be deleted because section 29 has been accepted to be deleted by the House.

श्री अध्यक्ष:—Yes.

(विराम)

Is leave of the House granted to delete the words "section 29 or" occurring in clause 50 (2)(h).

(स्वीकृत)

The words occurring in clause 50 (2) (h) "section 29 or" are deleted.

(विराम)

Now the question is that the amended clause 50 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Amended clause 50 is added to the Bill.

(विराम)

The Question,

"That clause 51 stand part of the Bill."

(स्वीकृत)

Clause 51 is added to the Bill.

(विराम)

The Question is that clause 1 stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

Clause 1 is added to the Bill.

(विराम)

The Question is that the title and the enacting formula stand part of the Bill.

(स्वीकृत)

The title and enacting formula are added to the Bill.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—माननीय अध्यक्ष, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक जैसा कि संशोधित किया गया है पारित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष:—The question is that the Rajasthan Minor Irrigation Bill, as amended, be passed.

(स्वीकृत)

The Bill as amended is passed.

राजस्थान विधि (सिरोही पर लागू होने वाला) विधेयक, १९५२

श्री रामकिशोर व्यास:-Sir, I beg to move for leave to withdraw the Bill to declare certain Rajasthan Laws to be applicable to Sirohi and also for leave to introduce it again because the schedule could not be appended to the Bill previously introduced.

पहले जब यह बिल इन्ट्रोड्यूस किया गया था उस वक्त गलती से उसका जो शिड्यूल था वह छूट गया था। इसमें कोई कानूनी डिफेक्ट नहीं रह जाय इसलिए इसको वापिस पुरःस्थापित करने की इजाजत चाहता हूं और फिर इसको सही रूप में पेश करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष:--Is the House willing to grant leave to withdraw a Bill to declare certain Rajasthan Laws to be applicable to Sirohi and also to grant Leave to introduce it again because the schedule could not be appended to the Bill previously introduced ?

(स्वीकृत)

The leave is granted.

श्री रामकिशोर व्यास:--I beg to introduce the Bill in the House.

श्री अध्यक्ष:--The sections of the Bill are already with the Hon'ble Members perhaps and the schedule has also reached. This bill may be taken into consideration at any stage now.

Next.

राजस्थान पंचायत विधेयक, १९५२

श्री रामकरण जोशी:--अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कुछ ग्राम क्षेत्रों में स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना तथा उसका विकास करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष--Motion moved. The question is that the Rajasthan Panchayat Bill, 1952, be taken into consideration.

श्री भैरूंसिंह (खेजड़ला):--Mr. Speaker, Sir, I want to move an amendment that the Bill be referred to a Select Committee.

श्री अध्यक्ष:--That will come later.

श्री एच. के. व्यास:--I want to say something....

श्री अध्यक्ष:--Do you want that the Panchayat Bill should not be passed in Rajasthan ?

श्री एच. के. व्यास:--No, I want to say something on the way in which the word 'Panchayat' has been misused.

श्री अध्यक्ष:--Do you want to say something over the principles of the Bill ?

श्री एच. के. व्यास:--Except for the name of the Bill, I agree..

श्री अध्यक्ष:--Then you can move an amendment when we proceed clause by clause.

श्री एच. के. व्यास:--The name is all right but the rest of the provisions do not justify the name. Therefore I have to say something on the Bill.

श्री अध्यक्ष:--Are you very keen to speak on the principles ?

(श्री एच. के. व्यास को सम्बोधित करते हुए ।)

श्री अध्यक्ष:--you are free to speak on the principles

श्री एच. के. व्यास:--If you are in ahurry....

श्री अध्यक्ष:--No, if you want to change the name ....

श्री एच के व्यास:--That is not the point. I agree that ther should be a law relating to Panchayats in Rajasthan But the way this was drafted, I do not agree. That is wh I have to speak on the principles of the Bill.

श्री अध्यक्ष:--Then you can.

श्री एच० के० व्यास:--अध्यक्ष महोदय, पंचायतों के सिलसिले में जो कायदा पेश किया जा रहा है, जैसा कि मैंने अभी कहा, माननीय अध्यक्ष, यह कायदा, सिवाय नाम के, बाकी जितनी कलमें इस कायदे में हैं वे बुनियादी तौर से न सिर्फ गैर प्रजातान्त्रिक हैं, बल्कि ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कुछ मिसालें आपके सामने पेश करूंगा और बताऊंगा उन सिद्धान्तों के बारे में ।

सबसे बड़ी चीज जो इस बिल में रखी गई है और जिसका ताल्लुक इसके सिद्धान्तों से हैं वे (सिद्धान्त) यह है कि पंचायतों को हम स्वराज्य संस्था का आधार समझते हैं और मानते हैं, अर्थात् सामान्य आदमियों को रोजमर्रा के काम काज चलाने के लिए सरकारी अधिकार मिलें; यह इसकी मान्यता होनी चाहिए । लेकिन असलियत यह है कि इस बिल में ऐसे प्रोविजन्स

रखे गये हैं कि जिस इलाके के लोग पंचायत नहीं चुन पायेंगे वहां सरकार पंचायत मुकर्रर कर देगी । यदि सरकार पंचायत मुकर्रर कर देगी तो पंचायत का चुनाव नहीं हो पायेगा । तो यह कायदा पंचायत बनाने का कायदा नहीं है । बल्कि पंचायत के नाम से सरकार द्वारा दुरुपयोग करने का कायदा है । और एक खास बात इस कायदे में पायेंगे कि न सिर्फ ग्राम पंचायतों का, बल्कि तहसील पंचायतों का इसमें जिक्र है । लेकिन इन ग्राम पंचायतों का चुनाव कैसे होगा, इसमें लोगों को जो स्वायत्त शासन के अधिकार दिये हैं उनमें बालिग-मताधिकार है या नहीं; इसका जिक्र तक नहीं है । बल्कि हकीकत तो यह है कि स्वायत्त संस्थाओं में जहां सभी जगह दुनियां में और हिन्दुस्तान के दूसरे हिस्सों में डाइआर्की (द्वैध शासन) सिस्टम बन्द किया जा रहा है वहां राजस्थान में डाइआर्की का सिस्टम लागू किया जा रहा है । एक और पंचायत बिल में पंचों के चुनाव के बारे में यह है कि पंचों का चुनाव आम लोगों द्वारा किया जायगा; दूसरी ओर सरपंच या उपसरपंच का जो चुनाव है वह चुनाव एक अलग तरीके से उन्हीं लोगों द्वारा किया जायगा और वही कायदा फिर से लागू किया गया कि यदि वह चुनाव नहीं हो पाया तो सरकार सरपंच मुकर्रर कर देगी और सरकार चाहेगी तो समय बढ़ा देगी । यहां तक कि अविश्वास का प्रस्ताव; यदि ३-४ पंच चाहें तो प्रस्ताव ला सकते हैं । मगर ३-४ पंच नहीं हो पाये तो उसका पूरे के पूरे कायदे में कहीं जिक्र नहीं है । चाहे पंचायत में ७५ फी सदी पंच खिलाफ नहीं हों; बल्कि ६० फी सदी सरपंच के खिलाफ हों तो उसको हटाने के बारे में, उसके सरपंच नहीं रहने देने के बारे में कोई जिक्र इस कायदे में नहीं किया गया है । इसलिए मेरा तो सिर्फ यही कहना है कि यह पंचायत बनाने का कायदा पंचायतों के नाम पर सरकार के फैसलों को मुकर्रर करने का कायदा है । इस कायदे का नाम 'पंचायत बिल' मौजूं नहीं होगा; यह गलत सिद्धान्त अपनाया जा रहा है ।

दूसरी चीज जो है, जिसका कि जिक्र करूंगा आप से, वह है उनकी ड्युटीज के बारे में । जो कुछ ड्युटीज उनकी रखी गई हैं उन्हें ओब्लीगेटरी (obligatory) समझा गया है. न कि स्वायत्त संस्थाओं को फलां फलां मसले पर कायदा बनाने का अधिकार दे रहे हैं, जुरिस्डिक्शन दे रहे हैं, बल्कि उनकी यह ओब्लीगेटरी ड्युटी होगी, उनको करना ही पड़ेगा । और इस प्रकार की ओब्लीगेटरी ड्युटीज की एक कलम रख कर बाद में सरकार ने अपने हाथ में यह अधिकार ले लिया है कि वह चाहेगी तो नोटिस देकर पंचायतों को भंग कर देगी । किसी एक पंचायत को सरकार चाहेगी तो हुक्म दे सकेगी कि तुम अमुक अमुक टैक्स लगाओ, और उस पंचायत को बगैर राय, बगैर आनाकानी के वह टैक्स लगाना पड़ेगा, वसूल करना पड़ेगा । मैं पूछना चाहता हूं कि यह कौनसा पंचायत का सिद्धान्त है, जिसमें टैक्स लगाने जैसे महत्वपूर्ण बात के बारे में सरकार यह अधिकार ले लेती है कि वह चाहे तो हुक्म निकाल दे कि आप टैक्स लगाओ; तो पंचायत को चुपचाप बगैर कोई बात कहते हुए यह टैक्स लगाना पड़ेगा । फिर मैं कहूंगा कि यह स्वायत्त संस्थाएं बनाने का कायदा नहीं है । यह तो सरकार द्वारा एडीशनल टैक्सेज कलेक्ट करने का कायदा हो सकता है ।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करूंगा उन अधिकारों का जो कि पंचायतों को दिये गये हैं। उनका ताल्लुक है क्लॉज ६५ए० बी०, तथा सी० से।

इस क्लॉज में टैक्स लगाने की दर बांधी गई है। इस सदन में कई बार, जो किसानों के प्रतिनिधि बनते हैं, किसानों के प्रतिनिधि नाते उनके ध्यान में खास तौर से यह बात लाने की है, एक सीमा बांधी गई है उसके के पीछे एक आने का टैक्स लगाया जा सकता है। इसके बाद ६५ बी० में सीमा बांधी गई है उसके लिए जो रेन्ट लगता है, जो भूमी का स्वामी है यानी बिस्वेदार है या जमींदार हैं; जो घर बैठे आमदनी लेता है उस पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहिये। लेकिन जो अपने आपको किसानों का प्रतिनिधि, किसानों का हिमायती कहते हैं उनके उपर बड़ी से बड़ी टैक्स की सीमा रखी गई है; वह है दो पैसा प्रति रुपया। यह एक अजीब चीज टैक्स के बारे में हैं। यह किसी भी तरह पंचायतों के अधिकारों को आगे बढाने वाली नहीं है। बहुत हद तक उनकी रोकने वाली चीज है। टैक्स-अधिकारों को देते समय पंचायतों को एक बड़ा खतरनाक टैक्स लगाने का भी अधिकार दिया गया है वह है ओक्ट्रोय टैक्स। हम आज ऐसी हालत में गुजर रहे हैं और गुजरेंगे कि राजस्थान में जो चीजें बाहर से आयगी उस पर कस्टम टैक्स मौजूद है। उसके बाद अलग अलग शहरों में जायगी तो उसके उपर चूंगी कर, टर्मिनल टैक्स लगेगा। फिर शहर के बाहर यदि देहातों में वह चीज जायगी तो देहातों में ओक्ट्रोय ड्यूटी लगेगी। बम्बई से यदि कोई चीज आती है राजस्थान में तो जोधपुर में उस पर कर लगेगा। उसके बाद १० कदम आगे यदि शहर में जायगा तो उसके ऊपर ओक्ट्रोय ड्यूटी लगती है। शहर से यदि सलावास आदि किसी कस्बे में जायगी तो उस पर और ओक्ट्रोय ड्यूटी लगेगी। इस प्रकार के अधिकार लेने के लिए यह कानून बनाये जा रहे हैं। कायदे की यह मन्शा है कि जो मामूली चीज उपलब्ध होती है वह भी महंगी उपलब्ध हो। सरकार अपने हाथ में हक ले रही है, पंचायती को मुकर्रर कर दे; फिर पंचायतों को यह आज्ञा दे दे कि वे इस प्रकार से टैक्स वसूल करें। इस तरह से सरकार इन पंचायतों के जरिये नये टैक्स कलेक्टर मुकर्रर कर रही है, नये टैक्स कलेक्टर बनाने का काम कर रही है। मेरी इसलिये यह राय है कि इस कानून को पब्लिक की राय के लिए प्रसारित किया जाय।

श्री रामकरण जोशी—अध्यक्ष महोदय, जिस तरीके से इस बिल पर रोशनी डाली गई है वह मेरे खयाल से जल्दबाजी से कही हुई बातें हैं। यह बिल पब्लिक की राय के लिए कई बार सदन में रखा गया है। अब तक इस पर कोई पब्लिक ओपीनियन नहीं आई। इस बारे में माननीय सदस्य भूल गये कि यह पब्लिक ओपीनियन के लिए प्रसारित किया जाना चाहिये किया जाय।

जिस इलाके में पंचायतों के चुनाव नहीं हो सकते वहां सरकार पंचायत नामजद करेगी। इसके बारे में मेरा कहना यह है कि राजस्थान के हरेक

कौने में यह चाहते हैं कि उस क्षेत्र के समझदार व्यक्ति, जनता के विश्वास पात्र व्यक्ति अपने स्थानीय विकास की तरफ रुचि लें और काम करें। इसलिये यह पंचायतों का चुनाव किया जाता है। जिस जगह चुनाव नहीं हो पाये हैं उनका काम ऐसी स्थिति में रुका न पड़ा रहे इसलिये यह बात रखी गई है। आज हमें अपने देश के शासन को बदलना पड़ेगा और बदलने की अवस्था में हमें अनेकों अधिकार देने पड़ेंगे; अपने वहां के आदमियों को। समझदार आदमियों को स्थानीय स्वायत्त शासन चलाने के लिए अधिकार देने पड़ेंगे; इसमें मेरे साथी को एतराज नहीं होना चाहिये।

चुनाव-पद्धति के बारे में कहा गया। उसके बारे में मेरा निवेदन है कि हमारी चुनाव पद्धति साफ है। जितनी अपने देश की गरीबी, प्रान्त की गरीबी है; इसी के आधार पर हमने अपनी चुनाव पद्धति रखी और वह ठीक है। मेरे साथी को यह पता होना चाहिये कि स्पेशल बैलट से व बैलट बोक्स से किस तरह से गांव के लोग पंचायतों का फैसला करते हैं और जिसे सारा गांव मानता है। यह चुनाव पद्धति तभी कारगर हो सकती है जब कि गांव की आर्थिक स्थिति इसे बरदास्त कर सके।

अविश्वास के प्रस्ताव का जिक्र करते हुए बात कही गई है कि ३-४ वोटों से कम आने पर अविश्वास नहीं मानते हैं। ऐसी परिस्थिति में आदमी बने रहते हैं; यह बात हर जगह मानी जाती है। दूसरी बात यह है कि जहां के व्यक्ति ३-४ आदमी अविश्वास का प्रस्ताव करते हैं उनको हटा दिया जाना चाहिये; इस पर विचार किया जा सकता है।

सरकार की भी यह मन्शा नहीं। वह जानती है कि वह खास तौर से जनता और ग्रामीण जनता के अधिकारों को रखना चाहती है। वह टैक्स कलेक्टर मुकर्रर करने के लिए पंचायतों का निर्माण नहीं कर रही है। जो अधिकार अपने यहां पंचायतों को दिये गये हैं वे पूरे अधिकार, उचित अधिकार हैं। जो अधिकार खास तौर से दिये गये हैं वे जरूरी हैं। इन अधिकारों का उपयोग अपने यहां के शासन को व्यवस्थित व ठीक रखने के लिए, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, देने आवश्यक हैं।

टैक्स के बारे में बार बार एतराज किया जाता है। मेरा यह कहना है कि कोई भी शासन बिना टैक्स के नहीं चल सकता; जिसमें खास तौर से स्वायत्त शासन संस्थाओं का काम बिना टक्स के कभी नहीं चल सकता। स्थानीय संस्थाओं का काम भी बिना स्थानीय टैक्स के चल नहीं सकता। कस्टम्स टैक्स के बारे में एक निश्चित तरीका है। कस्टम्स टैक्स का पैसा इस खजाने में नहीं जाता है और यह टैक्स अब खत्म होने वाला है और होना चाहिये। ओक्ट्रोय टैक्स और कस्टम टैक्स को माननीय सदस्य अलग अलग मान कर चलें; तो बड़ी महरबानी होगी। कस्टम से जो आमदनी होती है उसका उपयोग दूसरी जगह होता है और ओक्ट्रोय टैक्स से जो आमदनी होती है उसका उपयोग जनता की संस्था, स्वायत्त शासन संस्थाओं के लिए,

इन संस्थाओं के स्वावलम्बन के लिए होता है । ओक्ट्रोय टैक्स का विरोध करते समय कस्टम को सामने न रखना चाहिये । ओक्ट्रोय टैक्स का उपयोग दूसरी चीज में होता है । और कस्टम का उपयोग दूसरी चीजों में म्युनिसिपल एरिया, म्युनिसिपल लिमिट के बाहर का एरिया है। उसके लिए पंचायतों को स्वतन्त्रता है कि ओक्ट्रोय ड्यूटी ले और म्युनिसिपल एरिया से आने वाली चीजों पर वह ली जायगी । म्युनिसिपल एरिया से कोई चीज जाती है जिसका उपयोग म्युनिसिपल एरिया में नहीं होता है उसके पंचायतों के क्षेत्र में जाने पर ओक्ट्रोय ड्यूटी लगती है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि कोई भी संस्था स्वायत्त शासन की उस वक्त तक अच्छी तरह कार्य नहीं चला सकती जब तक कि वह अर्थ के मामले में स्वतन्त्र व स्वावलम्बी न हो । इस मामले में जो रुकावट पैदा करने की बात की जाती है यह स्वायत्त शासन के मूलभूत अधिकारों पर आघात है । स्वायत्त शासन की संस्थाओं के मूलभूत अधिकारों पर कुठाराघात करके किस तरीके से हम इस देश के अन्दर, प्रान्त के अन्दर स्वायत्त शासन को मजबूत और सुदृढ़ कर सकते हैं । जिस तरीके का शासन आज तक चला आ रहा है, जो अपने आपको किसानों का भला चाहने वाली संस्था के अनुयायी मानते हैं उनके द्वारा इस तरह का कदम उठाया जाता है यह कदापि उचित नहीं कहा जा सकता ।

इसके अलावा क्लॉज ६५ के ए, बी, तथा सी का भी जिक्र किया गया है । इसके विषय में मेरा निवेदन है कि इनके अर्थ को फिर से समझने की वे कोशिश करें । जब पंचायतों के हाथ में अपने इलाके का शासन करने का अधिकार देते हैं तो उनको अपना शासन चलाने लिए दो पैसे की भी जरूरत पड़ती है । इस क्लाज में पैसे की मर्यादा बांधी गई है । वे इससे ज्यादा नहीं ले सकते; इससे कम यदि वे चाहें तो ले सकते हैं । एक आने की जो मर्यादा बांधी गई है, यदि पंचायत उसे भी नहीं लेना चाहती है तो वह नहीं लें; लेकिन यदि लेती है तो वह एक आने प्रति रुपया से ज्यादा नहीं ल सकती । इस प्रकार की लिमिट इस क्लॉज ६५ के ए, बी, सी में रखी गई है ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इतने बड़े विधेयक से राजस्थान की डेढ़ करोड़ जनता में से ३२ लाख पर असर पड़ेगा, जिसके द्वारा वे विकसित होंगे और स्वराज्य की कल्पना मूर्तरूप धारण करेगी। जो माननीय सदस्य समझदार हैं और चाहते हैं कि इसे लागू किया जाय वे किसी प्रकार की एक विचार धारा से प्रभावित होकर इसके खिलाफ राय न दें ।

श्री गोपीलाल यादव:—मैं एक अमेन्डमेन्ट मूव करना चाहता हूं और वह अमेन्डमेन्ट यह है कि इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष:-There is already one amendment.

श्री गोपीलाल यादव:—On this very point.

श्री अध्यक्ष-Yes.

श्री भैरोंसिंह (खेजड़ला):—(Chief whip Sanyukat Dal)—I appeal that both the parties agree.

श्री रामकरण जोशी:—मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए इस बात का ध्यान रखेंगे कि इस सदन के इसी सेशन में इस विधेयक को स्वीकार किया जाना चाहिए और इसे पारित किया जाना चाहिए। मैं इसे सिलेक्ट कमेटि के सुपुर्द करने की बात को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष:—If you want to get it passed in this very session the personnel should come to me immediately.

श्री रामकरण जोशी:—सूची मैं अभी दे देता हूं।

श्री जसवन्तसिंह:—माननीय अध्यक्ष, अभी यह जिक्र हुआ कि यह पंचायत बिल इसी सदन के इसी सेशन में आजायगा। हमारी जानकारी और सुविधा के लिए मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सेशन का प्रोग्राम कहां तक का होगा; ताकि हम भी उसी अनुसार अपने आगे का प्रोग्राम बना सकें।

श्री अध्यक्ष:—Well it is very difficult for me to tell you the exact date because probably next week we have got the agenda and we can proceed upto the next week and if we receive more agenda we can go further.

श्री जसवन्तसिंह:—"मोर एजेन्डा" से मतलब नहीं समझा।

श्री अध्यक्ष:—For the present we have got agenda upto 5th or 6th.

(विराम)

I take it that this motion is accepted by the House unanimously for referring the Panchayat Bill to a select committee, the personnel or which will be immediately announced.

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

राजस्थान आबकारी (संशोधन) विधेयक, १९५२

श्री भोलानाथः--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान आबकारी अधिनियम, १९५० (अधिनियम संख्या २, १९५०) का और संशोधन करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्षः—The motion is that the bill further to amend the Rajasthan Excise Act, 1950 (Act. No. II of 1950) be taken into consideration and I put the question now. The question is "That the Rajasthan Excise (Amendment) Bill, 1952, be taken into consideration."

(स्वीकृत)

The Rajasthan Excise Amendment Bill, 1952 be taken into consideration.

श्री भोलानाथः—अध्यक्ष महोदय, इस बिल पर कोई अमेन्डमेन्ट नहीं है। यह तो आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत संशोधन करने वाला विधेयक है। इसमें सुधार की बात है; अतः इसे पास कर दिया जाय।

श्री अध्यक्षः–The question is, "That the Rajasthan Excise (Amendment) Bill be passed."

(स्वीकृत)

The bill is passed.

राजस्थान भूमि संक्षेप बन्दोबस्त, विधेयक १९५२.

श्री मोहनलाल सुखाडिया:–मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान राज्य में बन्दोबस्त नही की गई भूमियों का संक्षेप बन्दोबस्त करने की व्यवस्था करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जाय।

श्री कपिलदेवः–मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया जाय।

श्री अध्यक्षः–There is already an amendment for referring this Bill to a Select Committee by Shri H. K. Vyas. Do you want a further amendment

श्री कपिलदेवः--No, Sir.

श्री अध्यक्षः–(श्री एच. के. व्यास की ओर संकेत करते हुए) You should get the personnel of the Committee to be referred to.

श्री कपिलदेवः—I have got them.

श्री मोहनलाल सुखाड़िया:—यह बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक विधेयक है। मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को इसी अधिवेशन में ही पारित किया जाय। मुझे इसे सिलेक्ट कमेटी को रेफर किये जाने में कोई ऐतराज नहीं है। हमें इसे इसी सेशन में ही पारित करना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—मैंने प्रस्ताव में जानबूझ कर लिखा है कि यह रिपोर्ट विदिन टेन डेज में पेश होजानी चाहिए। मेरी खुद की इच्छा यही है कि यह इसी सेशन में पेश हो। यदि मेम्बर्स लोग काम करना चाहते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है और मैं चाहता हूं कि यह इसी सेशन में पास हो।

श्री कपिलदेव:—सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२. श्री लालसिंह शक्तावत
३. श्री इन्द्रनाथ मोदी
४. श्री भैरूंसिह खेजड़ला
५. श्री मोहबतसिंह डिविजन नं० १००
६. श्री हिम्मतसिंह ऑफ कुनाड़ी
७. श्री देवीसिंह ऑफ मंडावा
८. श्री मंगलसिंह कछवाहा
९. श्री खेतसिंह
१०. श्री मथुरादास माथुर
११. श्री छोटूसिंह
१२. श्री बी एन जोशी
१३. श्री कपिलदेव अग्रवाल
१४. श्री नरसिंह कछवाहा
१५. श्री रामचन्द्र चौधरी
१६. श्री लाल बहादुर
१७. श्री बलबीर
१८. श्री सम्पतराम
१९. श्री एच. के. व्यास
२०. श्री दीनबन्धु
२१. एडवोकेट जनरल

श्री अध्यक्ष:—The Question is that the Rajasthan Land Summary Settlement Bill, 1952, be referred to a Select Committee consisting of the following persons.

सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं:—

१. श्री मोहनलाल सुखाड़िया
२. श्री लालसिंह शक्तावत
३. श्री इन्द्रनाथ मोदी
४. श्री भैरूंसिह ऑफ खेजड़ला
५. श्री मोहबतसिंह डिविजन नं १००
६. श्री हिम्मतसिंह ऑफ कुनाड़ी
७. श्री देवीसिंह ऑफ मण्डावा
८. श्री मंगलसिंह कछवाहा
९. श्री खेतसिंह
१०. श्री मथुरादास माथुर
११. श्री छोटूसिंह
१२. श्री बी. एन. जोशी
१३. श्री कपिलदेव अग्रवाल
१४. श्री नरसिंह कछवाहा
१५. श्री रामचन्द्र चौधरी
१६. श्री लाल बाहदुर
१७. श्री बलवीर
१८. श्री सम्पतराम
१९. श्री एच० के० व्यास
२०. श्री दीनबन्धु
२१. एडवोकेट जनरल

श्री एच. के. व्यास:—On a point of Order, Sir. Is there any time limit for the presentation of the report by the Select Committee.

श्री अध्यक्ष:—You want to put in any time limit.

श्री एच. के. व्यास: –Within a week.

श्री अध्यक्ष:–The Question is that the Rajasthan Land Summary Settlement Bill, 1952, be referred to a Select Committe cosisting of the following persons, which will submit its report within a week.

१. श्री मोहनलाल सुखाड़िया	११. श्री छोटूसिंह
२. श्री लालसिंह शक्तावत	१२. श्री बी० एन० जोशी
३. श्री इन्द्रनाथ मोदी	१३. श्री कपिलदेव अग्रवाल
४. श्री भैरूंसिंह ऑफ खेजड़ला	१४. श्री नरसिंह कछवाहा
५. श्री मोहब्बतसिंह डिविजन नं० १००	१५. श्री रामचन्द्र चौधरी
	१६. श्री लाल बहादुर
६. श्री हिम्मतसिंह ऑफ कुनाड़ी	१७. श्री बलबीर
७. श्री देवीसिंह ऑफ मन्डावा	१८. श्री सम्पतराम
८. श्री मंगलसिंह कछवाहा	१९. श्री एच० के० व्यास
९. श्री खेतसिंह	२०. श्री दीनबन्धु
१०. श्री मथुरादास माथुर	२१. एडवोकेट जनरल

(स्वीकृत)

Motion is adopted. Next.

राजस्थान आवश्यक सेवा (संधारण) विधेयक १९५२.

श्री टीकाराम पालीवाल:—मुख्य मंत्री अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान में कुछ आवश्यक सेवाओं के संधारए की व्यवस्था करने वाला विधेयक विचारार्थ लिया जावे।

श्री अध्यक्ष:—The motion is that the Rajasthan Essential Services (Maintenance) Bill, 1952 be taken into consideration.

(विराम)

Does the House want any discussion on the principles of this Bill ?

श्री एच० के० व्यास:--I would like to get some information before I move my amendment. There is a motion, notice of which I have given, for the consideration of the Bill to be postponed to the next session.

श्री अध्यक्ष:—What's it ?

श्री एच० के० व्यास:—I have given notice of a motion to be moved that the consideration of the Bill be postponed to the next session. What I want to know is what is going to happen to the motion. After this I may be able to decide whether I would like to say something on the principles of the Bill.

श्री जसवन्तसिंह:—अध्यक्षजी, इस विषय पर मैं दो-चार शब्द कहना चाहता हूं। यह एक ऐसा बिल है जिस पर बहुत विचार करने की आवश्यकता है और बहुत से एम्लॉइज के जीवन का सवाल है। इसलिये बहुत सोच-समझकर इस पर चलने की आवश्यकता है। मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा कि इस इम्पोर्टेन्ट बिल को विचार करने के लिये अगले अधिवेशन में रखा जाय तो बहतर होगा; नहीं तो इतने महत्व के बिल पर पूरी तरह से विचार नहीं हो सकेगा।

श्री टीकाराम पालीवाल:—अध्यक्ष महोदय, यह मैं भी मानता हूं कि यह महत्व का बिल है; इसलिये चाहता हूं कि इसे हाउस जल्दी ही पास करे।

श्री जसवन्तसिंह:—वगैर चर्चा किये ही।

श्री टीकाराम पालीवाल:—विचार करने को काफी समय है। आज भी एक घंटा और बैठ सकते हैं।

श्री गोपीलाल यादव:—क्या कल कोई खतरा पैदा होने वाला है; जो इसे आज ही पास किया जाय। Is any strike going to take place tomorrow. म समझता हूं इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री माधोसिंह:—जैसा कि दो तीन विरोधी पक्ष के सदस्यों ने कहा है इसे सिलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री एच० के० व्यास:...Has the Hon'ble Chief Minister revised his opinion about the urgency of the matter which he denied in the morning.

श्री जसवन्तसिंह:—मैं मुख्य मंत्रीजी के गुड सेन्स को अपील करता हूं कि इतने महत्व का बिल होते हुए इतनी जल्दी क्यों की जारही है। कल के लिए यदि बन्दोबस्त करना चाहते हैं तो यह दूसरी बात है। यदि कल कोई खतरा

पैदा होने वाला है तो हम आपको पूरी तरह से मदद देने को तैयार हैं। यदि गवर्नमेन्ट को आज खतरा है या कल खतरा होनेवाला है और उसे रोकने के लिये इसे पास कराना चाहते हैं तो मैं उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम आपकी हर तरह से सहायता करेंगे और सहयोग देंगे। इस बिल को यदि अगले सेशन में रखा जायगा तो इस पर पूर्णतया विचार हो सकेगा। यदि उन्हें यह चीज मंजूर नहीं है तो मैं निवेदन करूंगा कि सिलेक्ट कमेटी के पास भेजना मंजूर करलें। मैं सिलेक्ट कमेटी के सदस्यों के नाम पेश करूंगा।

श्री अध्यक्ष:—These are all suggestions. I want something in writing. Unless there is anything in writing it is not possible to proceed with the business of the House.

श्री टीकाराम पालीवाल:—खतरे की कोई बात नहीं है; काम की बात है। यादव साहब की आदत पड़ गई है कि वे हर चीज को मजाक में लेना चाहते हैं। इस प्रकार का रवैया हाउस की शोभा के लायक नहीं है। कई बातों को सीरियस रह कर सोचने की आवश्यकता पड़ती है।

श्री गोपीलाल यादव:—By way of explanation, Sir. I am very serious and more serious and I never say anything which is not serious.

श्री टीकाराम पालीवाल: - I do not think you really feel that there is any danger. डेन्जर जैसी चीज तो है भी नहीं। फिर भी मैं निवेदन करता हूं कि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं। जो कि खतरा नहीं होते हुए भी जरूरी होती हैं और यह भी उनमें से एक है हमारे ऊपर खतरा नहीं है पर Services को maintain करना जरूरी है। पिछले अनुभवों ने हमें बताया है कि इस तरह के कानून हमारे लिए, काम चलाने को जरूरी हैं। यह तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि बहुत महत्व-पूर्ण होते हुए भी इसे टालने की कोशिश क्यों की जा रही है। मैं तो यही समझा हूं कि इसे महत्वपूर्ण मानते हुए भी इस पर ध्यान नहीं दिया है। फिर भी यदि ध्यान देना चाहते हैं तो Select Committee बना दी जाय और इसे उसके सुपुर्द कर दिया जाय।

श्री गोपीलाल यादव:—मुझे अर्ज करना है कि Clause by clause इस पर विचार करने की बजाय इसे Select कमेटी में भेज दिया जाय। क्योंकि Select Committee में जब लोग बैठते हैं तो यह देखा गया है कि Party से ऊपर उठ कर बैठते हैं और अच्छी तरह विचार करते हैं; यहां कुश्ती लड़ने लग जाते हैं।

(विराम)

आज यह पहला मौका है कि हमारे Chief Minister साहब ने हमारा सजेशन माना है।

श्री हरिकृष्ण व्यास:—पहले सूचना मिल जाती कि मेरे Motion का क्या हुआ जब कि Further consideration की बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष:--I should have announced it earlier. Yours is not a motion. It is an amendment to the motion moved by Shri Tikaram Paliwal. It is not a motion and I have ruled it out.

श्री एच. के. व्यास:--Then I seek your permission to say something on the principles of the Bill.

श्री जसवन्तसिंह:--इसके बारे में हमने Amendment पेश कर दिये हैं उन पर पहले विचार होगा।

श्री टीकाराम पालीवाल:--मैं यह समझता था कि माननीय सदस्य ने Amendment पेश किये हैं तो ऐसा तो मानना चाहिए कि सिद्धान्तों को Concede करते ही हैं। उन्होंने Number of amendments पेश किये हैं और वे Number by Number आयेंगे।

श्री हरिकृष्ण व्यास:--मैं सूचना दे दूं कि मैंने इन Amendments का नोटिस इसलिए दिया कि Consideration के लिये २ दिन का समय रहता नहीं। मुझे मालूम है कि मेरी आवाज की सुनवाई नहीं होती है इसलिए हर stage पर किसी बिल का विरोध करता रहूं और कोई मौका हाथ से न जाने दूं। इसीलिए आपकी टेबल पर Amendments रखे हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:--यह छोटा सा बिल है, इसको Select Committee के लिए insist न करें। इसको यहीं clause by clause पास कर दें तो ठीक है।

श्री जसवन्तसिंह:--मैं भी अपनी पार्टी की तरफ से विश्वास दिलाता हूं कि हम भी इसको महत्वपूर्ण समझते हैं और अगर इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय तो अच्छा होगा। हम यह भी विश्वास दिलाते हैं कि इसी सेशन में इसे पास करने को हम उत्सुक हैं।

श्री टीकाराम पालीवाल:--ज्यादा अच्छा यही होगा कि Consideration के Motion को पास कर दिया जाय।

श्री हरिकृष्ण व्यास:--Consideration के पहले सिद्धान्तों पर बहस करना जरूरी है। कुल कार्यवाही के लिए कल ही रख दें।

श्री अध्यक्ष:--From the trend of the House I understand that as regards principles none has to say anything against it.

श्री हरिकृष्ण व्यास:--I want to say something on the principles of the Bill.

श्री अध्यक्ष:--You can speak for five minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—On an important measure like this five minutes, Sir, are very inadequate. Generally when we discuss principles of Bills at least half an hour is given.

मुझे अफशोस है कि इतने महत्वपूर्ण सवाल पर सिर्फ ५ मिनट दिए जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष:—You are wasting your time.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—I would request you, Sir, to give me more time to speak on the principles of such an important Bill.

I would like to invite your attention to clause 3 of the Bill. It deals not only with Government servant but every private industry.

श्री अध्यक्ष:—You will begin it.

श्री एच. के. व्यास:—Are you going to give five minutes only.

श्री अध्यक्ष:—You should begin. You are encroaching upon your own time

श्री एच. के. व्यास:—Five minutes or two minutes donot matter, Sir.

श्री अध्यक्ष:—You come to the principles.

(विराम)

It depends upon the subject matter that you deal.

श्री एच. के. व्यास:—Then you are prepared to give more time.

श्री अध्यक्ष:—I do not make any promise.

श्री एच. के. व्यास:—You are not prepared to consider.........

श्री अध्यक्ष:—It is for you. You will waste your time out of the five minutes.

श्री हरिकृष्ण व्यास:—माननीय अध्यक्ष ! मुख्य मंत्रीजी ने जितनी जिम्मेदारी से कहा है कि यह बहुत महत्वपूर्ण कायदा है मैं भी उतनी ही महत्वपूर्ण जिम्मेवारी

से मंजूर करता हूं कि यह महत्वपूर्ण है; पर जितना वे इसे जरूरी समझते हैं उतना ही मैं इसे खतरनाक समझता हूं। किस तरह यह खतरनाक है, उसके लिये मेरा निवेदन है कि इसकी जितनी Sections है एक आदमी को सांकलों, जंजीरों में जकड़ देने का जो मौजूद तरीका सरकार ने अपनाया है, वही इस कायदे का असली मतलब है।

एक आदमी नौकरी करे, सरकारी नौकरी की बात तो दूर रही, किसी उद्योग धंधे में जिसमें Printing Press तक सम्मिलित है और उन उद्योगों में नौकरी करने वाला नौकरी छोड़ना चाहे तो इस कायदे में क्लाज बनाये गये हैं कि चाहे उस पर शारीरिक खतरा हो, चाहे किसी Contract के मातहत नौकरी छोड़ने का अधिकार उसे हो तो भी वह नौकरी नहीं छोड़ सकता; अगर उस पर हुक्म जारी कर दिया जाय। इससे बढ़ कर घोर अन्याय और क्या होगा। १५ दिन का नोटिस देकर नौकरी छोड़ना चाहता हो तो वह अधिकार भी छीन लिया गया है।

जो सरकारी नौकर है या और किसी उद्योग में काम करते हैं तो उनके बारे में एक अधिकारी को हुक्म निकालने का हक होगा कि आप इस जगह को छोड़ कर नहीं जा सकते। न सिर्फ उनको नौकरी छोड़ने की पाबन्दी है बल्कि यह भी हुक्म निकाला जावेगा कि तुम अमुक शहर छोड़ कर मत जाओ, अमुक मोहल्ला छोड़ कर मत जाओ, अमुक वार्ड छोड़ कर मत जाओ। तो आखिर क्या हम लोग राजस्थान में भेड़-बकरी हैं? क्या कोई राजस्थान में लड़ाई हो रही है, क्या कोई दुश्मन का हमला हमारे पर हो रहा है, क्या कोई युद्ध हो रहा है क्या कोई मार्शल लॉ हमारे पर लागू किया जा रहा है? अगर कोई नौकरी छोड़ना चाहे तो नौकरी नहीं छोड़ सकता, महज इसलिये कि सरकार के अधिकारियों की मंशा नहीं हुई।

तीसरा जो क्लाज है उसमें इन्साइटमेन्ट की परिभाषा की गई है और इस परिभाषा में आई० पी० सी० के कायदे जो बहुत समय से चलते आये हैं; उसमें दी गई परिभाषा को हजारों मील पीछे छोड़ कर बहुत ही आगे बढ़े हैं। आप इस कानून के क्लॉज की ओर गौर फरमावें तो देखेंगे कि इसमें कहा गया है कि यदि कोई आदमी शब्दों से, पेम्फलेटों से या इशारों से कोई ऐसी बात कहे जिसे संबन्धित आदमियों तक पहुंचने का अन्देशा हो तो उसे इन्साइटमेंट कहा जावेगा। मानलें कि किसी विभाग के बारे में या छापाखाने के बारे में या बीड़ी या कपड़े के उद्योग के बारे में कोई ज्यादती हुई है, जुल्म हुआ है और आप उसके संबन्ध में सहानुभूति दिखाना चाहते है तो आप वह नहीं कर सकेंगे; जैसे किशनगढ़ में किसी पर जुल्म हुआ और आपने उनके प्रति सहानूभूति दिखाने के लिये जयपुर में मिटिंग बुलाई या बुलाना चाहते हैं तो महज इसलिये कि आपके शब्द उन लोगों तक पहुंच सकेंगे या पहुंचाये जावेंगे या पहुंचने का अंदेशा है तो आपको इनसाइटमेन्ट (प्रोत्साहन) देने के अपराध में नियमानुसार गिरफ्तार किया जा सकता है और आपको एक साल तक की सजा भी दी जा सकती है। माननीय अध्यक्ष, यह तो वह हिस्सा हुआ जिसका ताल्लुक गंभीर और खतरनाक से खतरनाक क्लॉज से है।

इसका मतलब जो है हम अच्छी तरह से समझ लें । सरकार किसी भी उद्योग को गजट में शाया करके यह कह सकती है कि यह उद्योग पब्लिक के लिये आवश्यक चीजें पैदा करने वाला उद्योग ह , चाहे वह उद्योग मामूली से मामूली भी क्यों न हो ! कपड़े या बीड़ी बनाने वालों पर भी यह लागू किया जा सकता है । इसका मतलब यह हुआ कि इनमें काम करने वाले लोग इन्सान नहीं रहेंगे । वे तो भेड़ बकरी ही बने रहेंगे और सरकार के डन्डे के नीचे रहेंगे । वे शहर नहीं छोड़ सकते, वे घर नहीं छोड़ सकते, मौहल्ला नहीं छोड़ सकते । इसके अलावा एक क्लॉज इसमें ऐसा दिया है कि फिजिकली ठीक नहीं होंने पर भी अगर वे नौकरी छोड़ना चाहे तो नहीं छोड़ सकते और ऐसा करना जुर्म होगा । किसी मकान में या कारखाने में, कारखनें की छतें गिरने वाली है या उनके गिर पड़ने का अन्देशा है, उनके गिरने से हम दब कर मर जावेगें, फिर भी कायदे के मुताबिक तो आपको वहां पर रहना ही होगा; आप उसको छोड़ नहीं सकते । समझ में नहीं आता कि किस प्रकार के कायदे बनाये जा रहे है । अगर कोई कारखाने में खतरा ह तो कारखाने वाले ही सीटी बजा कर कहते है कि खतरा है, चले जाओ । मगर खुद नहीं निकल सकते; अगर निकल जावेंगे तो जान तो नहीं जावेगी । संसार के किसी भी हिस्से में ऐसा कानून नहीं है; कॅसाबियान्का बने रहो । जहाज जलता है तो जलने दो । खुद भी जल जाओ मगर वहां से हटो मत । अगर छत गिरती है तो गिरने दो, हटो मत, मर जाओ । इस प्रकार के कानून का नतीजा क्या होगा ? उसका नतीजा यह होगा कि लाखों और करोड़ों राजस्थान के आदमियों की जिन्दगी अफसरों के हुक्म के अनुसार चला करेगी । कोई व्यक्ति नौकरी करना चाहता है या नहीं चाहता; यह तय होगा, अफसरों की इजाजत पर और फिर आपकी और हमारी जुबान बन्द हो जाएगी । यदि किसी के साथ आप सहानभूति दिखाना चाहेंगे तो नहीं दिखा सकेंगे । मिसाल के तौर पर जयपुर में बैठे हुए हैं और भीलवाड़ा के मजदूरों को सहानभूति दिखाने के लिये आपने जयपुर में कोई सभा की तो सरकार तोड़ फोड़ का नाम लेकर, विद्रोह करने करने वालों को, प्रोत्साहन का नाम लेकर, आपको गिरफ्तार कर लेगी । आप आज सोचते होंगे कि यह विशेष आइडियोलोजी··············

(श्री अध्यक्ष ने समय समाप्ति की सूचना दी)

श्री एच. के. व्यास:–आपने सबको समय दिया है। में आपसे प्रार्थना करूंगा कि मुझे भी समय दिया जाए । दस दिन स बराबर प्रयत्न किये जा रहे है।

श्री अध्यक्ष:–You have taken ten minutes and five minutes you can take more.

श्री एच. के. व्यास:–मैं आपसे यह कह रहा था कि एक खास किस्म का तरीका अपनाया जा रहा है; जो हम लोगों के खिलाफ है । हमारी एक विशेष आईडियोलोजी है । हर बार यह जिक्र किया जाता है और कहा जाता है कि जो मेरी पार्टी के लोग हैं या मेरे से उनका सम्बन्ध है और जिसको में

जानता हूं और देखता आया हूं; पिछले ३–४ साल से जिस वक्त सरकार को दमन करना होता है तो अपने दमन के बारे में सफाई देने के लिये कम्युनिस्टों को झूठा बदनाम किया जाता है। यदि आप सारे हिन्दुस्तान के एक कोने से दूसरे कोने तक नजर दौड़ावेंगे तो आपको....

श्री अध्यक्ष:–You will come on the principles of the Bill.

श्री कानसिंह:–जब यह सिलेक्ट कमेटी के सुपर्द किया जाने वाला है तो फिर इस पर यहां बहस की क्या आवश्यकता है; समय भी समाप्त हो गया है।

श्री एच. के. व्यास:–एक भी दृष्टान्त नजर नहीं आएगा कि कोम्युनिस्ट गड़बड़ी कर रहे हैं या तोड़ फोड़ कर रहे हैं; हमारा दृष्टिकोण यह नहीं है कि कहीं तोड़ फोड़ किया जावे। आप सारे हिन्दुस्तान में एक भी आदमी के खिलाफ इस प्रकार का आरोप सिद्ध नहीं कर सकते। आप किसी को बिना मुकद्दमा चलाये नजर बन्द कर सकते हैं और आपने किया है। यह जो कहा जा रहा है वह कम्युनिस्टों को बदनाम करने के लिये ग़लत कहा जा रहा है। हमारा तोड़ फोड़ करने का कोई प्रोग्राम नहीं है। मैं इस बात के लिये चेलेंज देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि वे अपने प्रिडीसेसरों से इस सम्बन्ध में सलाह कर लें। मैं राजस्थान के चीफ मिनिस्टर साहब से पूछता हूं कि आप एक भी मिसाल बतादें तोड़ फोड़ की। मेरे विरोधी दल के लोग यह समझें तो उनको मैं यह बता दूं कि यह बिल्कुल गल्त बात है और आप उनकी बातों में न आवें। राजस्थान में आप प्रजातन्त्र का नाम लेते हैं; मगर वास्तव में प्रजातन्त्र का खून करते हैं। यह हर इन्सान के सिद्धान्त के खिलाफ है चाहे वह नागरिक हो। चाहे लेखक हो, चाहे प्रचारक हो। इसके लिये समय कम होते हुए भी मैं कहूंगा कि यह कायदा राजस्थान के लिये खतरनाक हैं। यदि यह पास हो गया तो सारी दुनिया यह कहेगी कि राजस्थान में आजाद हकूमत नहीं; राजस्थान में लोग भेड़–बकरियों की तरह सरकार के डंडे के नीचे रहते हैं; यह हिटलर शाही की हकूमत है। इसलिये इसको नापास किया जाए।

श्री गोपीलाल यादव:–माननीय अध्यक्ष, मैं इस पर बोलना चाहता हूं। अगर आप कहें तो आज वर्ना कल।

श्री अध्यक्ष:–I have no objection if the Hon'ble members agree.

(चारों ओर से अस्वीकृति की आवाजें)

I have to make an announcement, rather a motion.—These are the personnels of the Select Committee on the Rajasthan Panchayat Bill 1952,—

१. श्री रामकरण जोशी	२. राजा श्री मानसिंह
३. श्री श्यामलाल गोयल	४. श्री मोतीराम
५. श्री रामजीलाल यादव	६. श्री घासीराम वि. सं० ४३
७. श्री नारायण चतुर्वेदी	८. श्री त्रिवेणीश्याम शर्मा
९. श्री दिलीपसिंह	१०. श्री कुम्भाराम
११. श्री लाल बहादुर	१२. श्री तेजपाल
१३. श्री मोहब्बतसिंह	१४. श्री संतोषसिंह
१५. श्री तेजराजसिंह	१६. श्री भीमसिंह मण्डावा
१७. श्री गंगासिंह	१८. श्री मदनमोहन
१९. कर्नल श्री आर. एस. दिलीपसिंह	२०. श्री सज्जनसिंह
२१. डा० श्री मंगलसिंह	२२. एडवोकेट-जनरल

(सर्व सम्मति से स्वीकृत)

The names are approved. So we now adjourn the House till tomorrow 8. 30 A. M.

(सदन की बैठक १२–३८ पर समाप्त होकर ३०-१०-५२ के ८–३० बजे तक के लिये स्थगित कर दी गई)

सभा भवन,	**मनसाराम पुरोहित**
जयपुर	सचिव,
२९ अक्टूबर, १९५२	राजस्थान विधान सभा ।

परिशिष्ट १

(कृपया पृष्ठ ६६२ प्रश्न संख्या १८१ (ब) का उत्तर देखिये)

List of the incidents of "Marpeet" between Kisans and Jagirdars during July, August and September, 1952.

Place and P. S.	Case No. and Sec.	Date of incident	Remarks
1	2	3	4
I. Jaipur Range.			
(1) Jhunjhunu Distt.			
1. Bibasar, P. S. Jhunjhunu..	Case No. 101 IPC. u/s 147/447 IPC.		Land dispute.
2. —do— ..	Case No. 102, u/s 147/447 IPC.		—do—
3. Khera, P. S...	Case No. 35, u/s 148 IPC.	24-8-52	—do—
4. Sihor P. S. Khetri.	Case No. 86, u/s 147/447 IPC.	23-7-52	—do—
II. Jodhpur Range.			
(2) Jodhpur Distt.			
5. Chamu, P. S. Deohhu.	Case No. 12, u/s 302/149/147 IPC.	20-7-52	—do—
6. Chanelao, P. S. Bilara	Case No. 71, u/s 325 IPC.	16-9-52	Cattle grazing.

1	2	3	4
(3) Nagaur Distt.			
7. Mithri P. S. Nawa.	..	30-7-52	
8. Muhana, P. S. Maroth.	..	7-7-52	
9. Daulatpura, P.S. Maroth.	..	28-7-52	
10. Chitawa, P. S. Chitawa.	..	11-7-52	
11. Dolatpura, P.S. Chitawa.	..	—do—	These 10 cases are due to 'Parcha' distribution and land dispute.
12. —do—	..	—do—	
13. Makrana, P.S. Parbatsar.	..	3-7-52	
14. Chandalia, P.S. Parbatsar.	..	4-7-52	
15. —do—	..	8-7-52	
16. Nund, P. S. Degana.	..	17-7-52	
(4) Jalore Distt.			
17. Alawa, P. S. Umaidpur.	No. 36, u/s 447 IPC.	15-8-52	Land dispute.
18. Tadwa, P. S. Jalore.	No. 44, u/s 325 IPC.	3-7-52	—do—
19. Mandavla P. S. Jalore.	No. 57, u/s 325 IPC.	17-9-52	Cattle grazing.
20. Harji P. S. Umaidpur.	No. 42, u/s 342 IPC.	8-9-52	Reason not known.
21. Bhavrani, P.S. Osra.	No. 19, u/s 342 IPC.	1-7-52	Filling of grass cart.
22. Mandak Kala P. S. Raniwara.	No. 33, u/s 147/447/342	18-9-52	Cutting of crops.

Page No.81

৮২৩

1	2	3	4
23. Surva, P. S. Sanchore.	No. 31, u/s 147/ 447 IPC.	2-7-52	Land dispute.
24. —do—	No. 32, u/s 147 IPC.	—do—	Previous enmity.
25. Achalpura, P.S. Bhawatra ..	No. 20, u s 447 IPC.	1-7-52	Land dispute.
26. Chitalwana, P.S. Bhawatra.	No. 21, u/s 324/ 148 IPC.	13-7-52	—do—
27. Tawav, P. S. Modran ..	No. 28, u/s 447 IPC.	30-7-52	—do—
28. Ropani P. S. Bhinmal ..	No. 37, u/s 447 IPC.	9-7-52	—do—
29. —do— ..	No. 35, u/s 447 IPC.	8-7-52	—do—
30. —do— ..	No. 36, u/s 447 IPC.	9-7-52	—do—

III. Udaipur Range.

(5) Chittor Distt.

31. Netawal, P. S. Chittor ..	No. 125, u/s 379/ 147 IPC.	30-8-52	Damage of Tan.

परिशिष्ट २

(प्रश्न-कर्त्ता की अनुपस्थिति में प्रश्नोत्तर सदन की मेज पर रखे गये)

198 (276/S) **Shri Sheodan Singh M. L. A.** *Div. No.* 140: Will the **Industries and Commerce Minister** be pleased to state:—

(*a*) Whether the Geological Department has undertaken the survey of the State ? If so, which part of the state has been surveyed and which part remains yet to be surveyed ?

(*b*) How much time will be taken by the department for the survey of the remaining part of the State ?

(*c*) Whether the output of work given by the department justified the expenditure incurred by it ?

199 (278/S) **Shri Sheodan Singh, M. L. A.** *Div. No.* 140:—Will the **Industries and Commerce Minister** be pleased to answer:—

(*a*) What is the income of the Geological Department ?

(*b*) Is it true that a majority of the technicians employed in this department utilise a major portion of their time on office routine work ?

200 (279/S) **Shri Sheodan Singh, M. L. A.** *Div. No.* 140:—Will the **Chief Minister** be pleased to state.—

(*a*) How far the anti-corruption department has been successful ?

(*b*) How many cases have been instituted and how many have been disposed of and with what results ? Reasons for failure of cases if any, may be explained ?

201 (280/S)**Shri Sheodan Singh, M. L. A.** *Div. No.* 140:—Will the **Education Minister** be pleased to state:—

What steps have been taken by the Government for providing compulsory education to children upto the age of fourteen years (vide article 45 of the Constitution) during the course of the last two years ?

202 (280-A/S) **Shri Sheodan Singh, M. L. A.** *Div. No.* 140:— Will the **Education Minister** be pleased to state: –

Is it true that the majority of the schools have not yet been provided with adequate number of teachers and the work is suffering ?

203 (281/S) **Shri Sheodan Singh, M. L. A.** *Div. No.* 140:—Will the **Education Minister** be pleased to state:—

Have the Government framed rules for recruiting teachers or it depends upon the sweet will of the authority concerned ?

प्रश्न सं. १९८ का उत्तर

(a) The Mines and Geological Department has undertaken mineral surveys and investigations of selected minerals such as Garnet, Lignite, Fluorite, Manganese, Wolfram, Beryles, Lead, White Clay etc. etc., in order to ascertain their potentiality. The mineral selected for survey occur nearly in all Divisions. Many minerals would further be investigated if initial indications suggest detailed work in selected areas as minerals do not occur everywhere in economically workable quantities.

(b) Number of minerals whose occurrence has been reported yet require investigation to determine their economic position. The Geological Survey of Rajasthan has been completed by Geological Survey of India on regional basis in a period of last 25 years. Detailed surveys could be taken only of a few minerals year after year where conditions warrant.

(c) Out put of work fully justify the expenditure incurred. The revenue has stepped up from rupees thirty seven lakhs in 1947 to nearly forty nine lakhs in, 1951.

प्रश्न सं. १९९ का उत्तर

(a) Income of the Mines and Geological Department was Rs. 49 lacs in 1951.

(b) It is not true that most of the technicians employed utilise major portion of their time in office work. The sanctioned strength of the Department has not been filled and posts are vacant resulting in the crowding of field duties and office work.

प्रश्न सं. २०० का उत्तर

(a) This is a question of opinion. As, however, the department has been set up recently, it is too early, to appraise its achievements.

(b) 15 red-handed cases were detected by the department, 13 were sent up for trial, out of which 10 are still pending in Courts, 2 cases have resulted in conviction and one in acquittal, in the remaining 2 cases departmental enquiries were held. Enquiries were also held in about 590 complaints out of which about 340 proved frivolous and in 163 cases recommendations were made to deal the defaulters departmentally. The remaining 82 are pending enquiry. The main reason for failure of corruption cases lies in the fact that witnesses are won-over due to the pressure put by the defaulters. Some apathy is also noticed among the members of the public evidence against corrupt officers or to come forward with their complaint.

प्रश्न सं. २०१ का उत्तर

(क) आर्थिक तंगी के कारण अनिवार्य शिक्षा को प्रभाव में लाने के लिए अभी तक कोई कदम नहीं उठाये हैं ।

(ख) नहीं ।

प्रश्न सं. २०२ का उत्तर

नहीं ।

प्रश्न सं. २०३ का उत्तर

गजेटेड पदों के लिये तथा ऐसे पदों, जिनका वेतन १२० रु० मासिक या अधिक है, के लिये शिक्षक राजस्थान लोक-सेवा-आयोग द्वारा भर्ती किये जाते है और अन्य पदों के लिये भरती, शिक्षा सम्बन्धी योग्यताओं एवं गुण के आधार पर विभाग द्वारा की जाती है ।